आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

मई 2022

क्रान्ति

मासिक



मज़हब नहीं सिखाता...

Reg. No.-2036000315

HAMIDA NURSING HOME

Multi Speciality Hospital



SERVICE

- ICU, NICU, HDU
- Modern Operation Theathers
- Diagnostics Service
- Pharmacy (24x7)
- Ambulance Service (24x7)
- Health Checkup Schemes
- Private Cabin / Deluxe Cabin
- Urology & Uro Surgery

FACILITIES

- General & Lap Surgery
- Orthopedics
- Gynecology & Obstetrics
- General Medicine
- Pediatrics
- Fully Advanced Pathology
- Dental Clinic
- Gastroenterology
- Plastic Surgery

PASAI, HAZARIBAGH (JHARKHAND) 9835747753, 9031240635 hnhome@gmail.com

www.kanti.in

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 31 अंक 11 मई 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

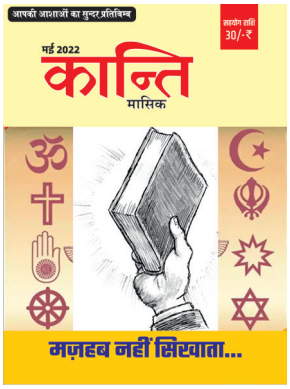

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
नफ़रत की आंधी हमें मायूस न करे
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
इस जीवन के बाद क्या?
मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

सौंदर्य बोध 10
जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण
गुलज़ार सहराई

मुख्य स्तंभ 13
मज़हब नहीं सिखाता...
सुफ़ियान अहमद

विवेचना 17
मानव-एकता और संघर्षों का मूल कारण
सैयद जलालुद्दीन उमरी

विमर्श 19
धर्म का दुरुपयोग
सैयद हामिद मोहसिन

निष्कर्ष 21
अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष
डॉ॰ मुहम्मद अहमद

अभिमत 25
सह-अस्तित्व का पोषक
डॉ॰ प्रदीप कुमार यादव

समाधान 27
'धार्मिक सहिष्णुता' आदर्श व्यवस्था की आवश्यकता
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

कविता 30
मानवता का उत्थान
मधुरेश त्रिपाठी

समसामयिक 31
हिजाब : क्या, क्यों और कैसे?
कमला सुरैया

ज्वलंत 35
निष्पक्ष रचनात्मकता का अभाव
विभूति नारायण राय

सेहत 39
फैटी लिवर होने से बचाएं
संपादन प्रभाग

करियर 41
ऑनलाइन जॉब : करियर को दें नई दिशा
संपादन प्रभाग

कहानी 43
पंचायत
मुंशी प्रेमचंद

आख़िरी पन्ना 49
शान्ति का पथ प्रदर्शक
नईम अलहिन्दी

मूल प्रश्न



नफ़रत की आंधी हमें मायूस न करे

शिब्ली अरसलान

आज हर तरफ़ नफ़रत का बाज़ार गरम है। ऐसा लगता है कि चुनाव और त्योहार का मौक़ा नफ़रत की दबी लहर को और अधिक तेज़ कर देता है। कैसी विडंबना है कि त्योहार और फेस्टिवल जो कि आते ही हैं सभों को एक करने के लिए, ख़ुशी और प्रेम का नग़मा गुनगुनाने के लिए, इस अवसर को भी लोग नफ़रत की फ़सल काटने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। इस बार रामनवमी के अवसर पर गुजरात से लेकर बंगाल तक कई शहरों और क़स्बों में नफ़रत ने जिस तरह हिंसा का रूप धारण किया है, उससे लगता है कि लोग नफ़रत का ज़हर छुपाए मौक़े की ताक़ में बैठे थे। ये नफ़रत यूं ही अगर जारी रही तो ये हमें विनाश के मार्ग तक ले जाकर छोड़ेगी।

नफ़रत हमारे रचनात्मक दिमाग़ और शरीर के विपरीत काम करती है। नफ़रत हमें नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। यह कभी हमें विचार-विमर्श का मौक़ा नहीं देती। नफ़रत के साथ हम अपने जीवन में कभी भी कुछ ठोस प्राप्त नहीं कर सकते। किसी ने सही कहा है कि हमें बरबाद होने या करने के लिए ज़हर, गोला-बारूद या दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम ख़ुद ही ख़ुद से नफ़रत, दुश्मनी कर अपनी बर्बादी की कहानी लिखने के लिए काफ़ी हैं। नफ़रत क्या है, यह भावना मन में किस स्थिति में उपजती है? प्रेम और नफ़रत दुनिया की दो ऐसी भावनाएं है जिनकी जकड़ से इन्सान कभी मुक्त नहीं हो सकता। दोनों मन की ऐसी अवस्था है जिससे इन्सान को जीवन में अनेक बार गुज़रना पड़ता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने वाली इतनी विरक्ति कि उसे देखना भी गवारा न हो, नफ़रत कहलाती है। जहां एक तरफ़ प्रेम में स्नेह, ममता, समर्पण उपासना आदि भावनाएं हैं तो वहीं दूसरी ओर नफ़रत के साथ ईर्ष्या, भय, खिन्नता, आक्रमण और हिंसा के भाव हैं। नफ़रत के कई कारण हो सकते हैं...

अज्ञानता : अक्सर उन लोगों से और उन विचारों से हम धीरे-धीरे नफ़रत करने लग जाते हैं जो हमारे से अलग हैं, जिसे हम ठीक से जानते नहीं। कभी-कभी हम अतिसंवेदनशीलता के कारण अन्य लोगों के विचारों को अनदेखा करते हैं। हम कभी-कभी किसी को नहीं सुनते और अपने स्वयं के झूठे तथ्यों और विचारों पर विश्वास करते हैं। ये सभी अज्ञानता के अलग-अलग

रूप हैं। जो हमारी विचाधारा से अलग है, सीमाओं से अलग है, वह नफ़रत का पात्र नहीं, उसे जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए।

भय : हम जिन लोगों से डरते हैं अक्सर बाद में उन्हीं लोगों से नफ़रत करने लगते हैं। व्यावहारिक शोधकर्ताओं की मानें तो जो लोग दूसरों के प्रति नफ़रत करते हैं, वे ख़ुद के भीतर डरते हैं यानी कुछ इस सिद्धांत के साथ कि मैं भयानक नहीं हूं पर आप हैं। अस्ल में हम अपने जीवन को एक पद्धति के अनुसार विकसित कर लेते हैं। अपनी सीमाओं में सोचते है, अपनी सीमाओं में देखते और समझते हैं, इससे मन और मस्तिष्क का यह दायरा मज़बूत होता चला जाता है। फिर ये एक धारणा बन जाती है। जब अपने जैसी धारणा के लोग हमें मिलते है तब हम आत्म-मुग्ध होकर एक-दूसरे की इस धारणा को बल प्रदान करते हैं। इस भाव को प्रेम भी कह सकते हैं और मित्रता और स्नेह भी। पर जब कोई पारिवारिक या बाहरी व्यक्ति हमारी इन धारणा पर चोट करता है तब मन विचलित होने लगता है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से एक धारणा को विकसित किया था और उस धारणा का विखंडन सहन कर नहीं सकते। जब तक हमारे पास बदले में देने के लिए शब्द हैं, शब्दों से हमला करते हैं। जब शब्द समाप्त होते हैं तब हमला शारीरिक हो जाता है।

अहंकार : संप्रदायों के बीच नफ़रत और घृणा का मुख्य कारण अहंकार है। अहंकार वर्तमान और इतिहास से खोज कर हमें सिर्फ़ हमारी कहानी के बारे में बताता है और हर बार हमें नायक बनाता है। अहंकार एक साधारण बात नहीं है। कभी-कभी यह हमारे जीवन को और अधिक विनाशकारी बना देता है।



प्रतिस्पर्धी दुनिया : प्रतिस्पर्धी दुनिया हज़ारों अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन इसने व्यक्तियों और समूहों के बीच बहुत सारी घृणा पैदा की है। हम हमेशा दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इस तरह की भावना और उद्देश्य हमारे अंदर घृणा विकसित करती है। प्रतियोगिता भी हमारे अंदर कहीं न कहीं घृणा पैदा करती है । यह इसलिए होता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर को समझते नहीं है, और दूसरों से प्रेरित होकर उनके मार्ग पर चल पड़ते हैं तो इस द्वंद्व में हम अपना हुनर खो देते हैं और घृणा के रास्ते पर चले जाते हैं । इसलिए जब हम किसी भी कार्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, अपना तन, मन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं, तो सब भावनाएं प्यार को इशारा करती हैं, लेकिन यही कार्य घृणा से किया जाए तो हम मेहनत की जगह पर तरह-तरह के रास्ते खोजते हैं, जो उस कार्य और समाज के नियमों के विरुद्ध हो जाते हैं, जो हमें नफ़रत के रास्ते पर ला खड़ा करते हैं।

अंत में,

नफ़रत पर क़ाबू पाने की कुंजी है आत्मावलोकन। मसलन जब भी किसी के प्रति नफ़रत का भाव पैदा हो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आख़िर मेरे अन्दर इसके प्रति नफ़रत का भाव क्यों है? क्या किसी प्रकार का भय है या मेरी अज्ञानता है, अहंकार का भाव है या कोई अन्य कारण, यह चर्चा मन में होनी चाहिए। सामान्य तौर पर, नफ़रत को प्यार के विपरीत माना जाता है। हालांकि नफ़रत, प्यार के लिए एक क़दम भी हो सकती है, क्योंकि नफ़रत को हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देशित किया जाता है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इस अर्थ में, प्रेम के विपरीत उदासीनता होगी, नफ़रत नहीं । नफ़रत, शत्रुता और प्रतिकर्षण से जुड़ी है, ये प्रतिकर्षण, आकर्षण ही का एक रूप है। अतः हमें इसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि नफ़रत के इस भाव से एक दिन प्रेम और स्नेह जन्म लेगा। बस, नफ़रत की आंधी हमें मायूस न करे, प्यार के ज्योत जलाए रखें। ■■


اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ امام مالک:705)
With Best Compliment from
sagar
SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES
Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

चिंतन



मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी



इस जीवन के बाद क्या?

हमारा देश, एक धर्म प्रधान देश है। यहां प्राचीनकाल से ही धर्म अपने विभिन्न रूपों में मौजूद रहा है। दूसरे शब्दों में, धार्मिकता इस समाज की उभरी हुई विशेषता रही है। इसने देश के जन-मानस को काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रकार यह स्वयंसिद्ध वास्तविकता है कि धार्मिक मूल्यों की मानव-जीवन को सदैव आवश्यकता रही है, लेकिन इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में धार्मिक मानसिकता और धार्मिक विचारधाराओं की मात्र मौजूदगी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी मौलिकता का प्रश्न प्रमुख होता है। धार्मिक मूल्य जितने मौलिक होंगे, उतने ही प्रभावकारी भी होंगें और इन्सान की नैतिकता और उसके शील-स्वभाव व चरित्र को उत्तम बनाएगी।

इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में धार्मिक मानसिकता और धार्मिक विचारधाराओं की मात्र मौजूदगी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी मौलिकता का प्रश्न प्रमुख होता है। धार्मिक मूल्य जितने मौलिक होंगे, उतने ही प्रभावकारी भी होंगें और इन्सान की नैतिकता और उसके शील-स्वभाव व चरित्र को उत्तम बनाएगी।

भारतीय समाज विभिन्न गंभीर समस्याओं से दो-चार रहा है। आज इन समस्याओं में और वृद्धि होती जा रही है, इसका प्रमुख कारण मौलिक धार्मिक मूल्यों का ह्रास और भौतिकवादी संस्कृति का खुला आक्रमण है। कुछ

अति स्वार्थी लोगों ने अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आमजन में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम समस्याएं पैदा कर दी हैं, जो भयावह रूप धारण कर रही हैं। इन्होंने लोगों के मन-मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर डाला है कि उनके जीवन में स्वेच्छाचार, कुमार्ग गमन, और स्वच्छंदता का फैलाव हो रहा है, जिसके नतीजे में लोगों में ईश्वर के प्रति जैसी निष्ठा और भक्ति व बन्दगी होनी चाहिए, उसका अभाव हो गया है। यह बाहरी दिखावों तक सीमित हो गई है और मनुष्य विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं का शिकार होता जा रहा है। वह भौतिकता की चलती-फिरती मशीन बन चुका है।

उसकी सारी गतिविधियां दुनिया की प्राप्ति और भौतिकवाद तक सीमित हो गई हैं। वह सही या ग़लत ढंग से हर हाल में दुनिया कमा लेना चाहता है। उसमें पारलौकिक जीवन की कल्पना नहीं पायी जाती और न ही वह दायित्व-बोध उसमें पाया जाता है, जो इन्सान का अपने पैदा करने वाले के प्रति होना चाहिए। पारलौकिक जीवन की जो कल्पना कहीं दिखती भी है वह अवास्तविक, कृत्रिम एवं काल्पनिक होने के कारण प्रभावोत्पादक नहीं बन पाती। इस प्रकार समाज विभिन्न प्रकार की बुराइयों, समस्याओं और विकारों से पट जाता है। वर्तमान समाज की यह दुर्दशा का यही कारण है।

जब इन्सान अपने पैदा करने वाले के प्रति ही कृतिज्ञ नहीं होगा, उसके प्रति अपने कर्मों के सिलसिले में जबावदेही से बेख़बर एवं असावधान होगा, तो स्पष्ट है कि वह नेकी, भलाई और कल्याण के कामों से दूर हो जाएगा और वह जो भी कर्म करेगा उससे दूसरों के लिए कष्टकर और अलाभकारी होगा! साथ ही स्वयं के लिए भी दुखदायी, हानिकारक और अमंगलकारी होगा। इसके विपरीत परलोक को मौलिक रूप में मानने से इन्सान का चरित्र निखरता और संवरता है, वह भले और नेक काम करता है, किसी का हक़ नहीं मारता और न किसी पर ज़ुल्म-ज़्यादती करता है।

इस्लाम में परलोक (आख़िरत) की धारणा उसके आधार-स्तंभों में से एक है। परलोक का इस लोक (दुनिया) से गहरा सम्बंध है। परलोक इस दुनिया का विकसित रूप है। हमें यहां जो कमी दिखायी देती है, वह वहां पूरी कर दी जाएगी। जो चीज़ें यहां छिपी हुई हैं, वहां छिपी न रहेंगी। इन्सान को दुनिया में अपने अच्छे-बुरे कर्मों का पूरा-पूरा पुरस्कार या दंड नहीं मिल सकता। इन्सान के भले-बुरे कर्मों के प्रभाव उसके जीवन के साथ समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि सदियों तक उसके कर्मों का भला या बुरा प्रभाव पड़ता रहता है।

एक व्यक्ति ने मानवता को शिक्षित और संस्कारित किया, तो उसका प्रभाव दीर्घकाल तक होगा। इसी तरह एक व्यक्ति ने मानवता को ग़लत दिशा दी और अत्याचार किया, तो उसका कुप्रभाव भी दीर्घकाल तक बना रह सकता है। अतः अच्छे कर्मों के मुल्यांकन और बुरे कर्मों की बुराई को आंकने के लिए आवश्यक है कि कर्मों के सभी प्रभावों को देखा जाए और उनके प्रमाण जुटाए जाएं और अपराधियों को उन सारे लोगों के सामने दंड का आदेश सुनाया जाए, जिनको उनके कर्मों के कारण किसी प्रकार का नुक़सान पहुंचा हो। ऐसा पूर्ण न्याय इसी संसार और इसी सीमित व नश्वर जीवन में मिलना संभव नहीं है अतः ऐसे पूर्ण व निष्पक्ष न्याय के लिए भी परलोक की आवश्यकता है।

इस्लाम की धारणा है कि इन्सान

ईश्वरीय न्यायालय में हरेक के बारे में जो फ़ैसला होगा वह अत्यंत न्यायानुकूल होगा। किसी पर ज़्यादती न होगी। उस दिन किसी का कोई हक़ मारा नहीं जाएगा। हरेक को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे उसने काम किए होंगे। उस दिन न्याय की तराज़ू बड़ी होगी। जिसकी नेकी के पलड़े भारी होंगे, वह सफल होगा।



का यह जीवन उसकी परीक्षा की घड़ी है। यह नश्वर जगत है, जिसका एक दिन विनाश होना निश्चित है। शाश्वत जीवन तो परलोक का जीवन है। यदि इन्सान ऐकेश्वरवाद (तौहीद) ईशदूतत्व (रिसालत), पारलौकिक जीवन आदि मौलिक धारणाओं को मानता है और जीवन में ईश्वरीय आदेशों का पालन करता है, नेकी और भलाई के कामों में लगा रहता है तो उसके लिए परलोक में अच्छा बदला है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले नरक की यातना से दो-चार होंगे।

वास्तविकता यह है कि इन्सान का जैसा कुछ प्रयास होगा, जैसा कुछ उसका चरित्र और कर्म होगा, वह अपना प्रतिफल पाकर रहेगा। परलोक में इन्सान अपने कर्म को छिपा न सकेगा। उसका किया-धरा सब सामने आएगा। ईश्वरीय न्यायालय में अपराधी स्वयं अपने अपराध स्वीकार करेंगे और उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। वे चाहेंगे कि उन्हें दुनिया में फिर भेज दिया जाए और वे अच्छे कर्म करके आएं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं रहेगा। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष उसके कर्मों का लेखा-जोखा पेश किया जाएगा। क़ुरआन स्पष्ट रूप से कहता है कि इन्सान के कर्मों की निगरानी अल्लाह के आदेशों से हो रही है।

ईश्वरीय न्यायालय में हरेक के बारे में जो फ़ैसला होगा वह अत्यंत न्यायानुकूल होगा। किसी पर ज़्यादती न होगी। उस दिन किसी का कोई हक़ मारा नहीं जाएगा। हरेक को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे उसने काम किए होंगे। उस दिन न्याय की तराज़ू बड़ी होगी। जिसकी नेकी के पलड़े भारी होंगे, वह सफल होगा और स्वर्ग में जाएगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे, वह नरक में जाएगा।

इन्सान अपना अहित और नुक़सान नहीं चाहता। उसके मूल स्वभाव में है कि वह ईश्वर का आज्ञाकारी बने, सत्य मार्ग पर चले, लेकिन जब वह इस स्वभाव को अपनी मनेच्छाओं कुत्सित स्वार्थों और बाह्य प्रभावों के अधीन कर लेता है, तो वह अपने अहित और नुक़सान की ओर सहज ही बढ़ता चला जाता है। उसका दिल मौलिक गुणों, नैतिक व धार्मिक मूल्यों और मर्यादाओं से धीरे-धीरे ख़ाली हो जाता है और तरह-तरह की बुराइयां और विकृतियां इनकी जगह ले लेती हैं।

इन्सान का जैसा कुछ प्रयास होगा, जैसा कुछ उसका चरित्र और कर्म होगा, वह अपना प्रतिफल पाकर रहेगा।

आज इन्सान के जीवन और समाज में जो बुराइयां और विकृतियां पाई जाती हैं, उनका बड़ा कारण ईशभय और पारलौकिक जीवन की सही धारणा के प्रति बेपरवाही असावधानी और निश्चिन्तता है। आइए हम अपने जीवन में धर्म की मौलिक धारणाओं को अपनाकर उसे सुधारें-संवारें। इस प्रकार लोक-परलोक में सफलता एवं सम्मान के साथ-साथ वर्तमान में भी हमारे समाज और देश का नव-निर्माण भी होगा और मानवता का मान-सम्मान भी बढ़ेगा। ■■

जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण

सौंदर्य बोध



गुलज़ार सहराई

◆ सार के समस्त प्राणियों में इन्सान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर की ओर से वैचारिक एवं व्यावहारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह अधिकार जहां इन्सान के लिए ईश्वर का अनमोल उपहार है, वहीं यह उसके लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। बुद्धि एवं विवेक के इसी स्वतंत्र उपयोग के द्वारा जहां इन्सान ने भौतिक सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर उसने बुरी तरह ठोकरें भी खाई हैं। नैतिक मूल्यों का सही निर्धारण तथा आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना समझ पाना बुद्धि के वश की बात कभी नहीं रही। ईश्वरीय आदेशों की समुचित जानकारी के बिना जो लोग धर्मगुरु या आध्यात्मिक गुरु होने का दावा करते हैं, वे किस प्रकार आम जनता को मूर्ख बनाते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसके उदाहरण बराबर हमारे सामने आते रहते हैं।



दूसरी ओर जो लोग बुद्धि को ही सब कुछ समझते हैं, वे इस गुत्थी को सुलझा पाने में असमर्थ हैं कि आख़िर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण आधुनिक शिक्षा प्राप्त इन्सान इन कथित धर्म गुरुओं के जाल में क्यों फंस जाते हैं? और क्यों बुद्धि को ताक़ पर रखकर निरे अन्धविश्वासी बन जाते हैं? इस प्रकार के लोग अस्ल में इस सत्य से अनभिज्ञ होते हैं कि दिव्य-शक्ति से डरना इन्सान का एक नैसर्गिक गुण है। यही वजह है कि बौद्धिकता के तमाम दावों के बावजूद इन्सान अपने इस गुण से पीछा नहीं छुड़ा सका है।

जब बुद्धि का ज़ोर होता है तो इन्सान, अदृश्य होने के कारण, ईश्वर तक का इन्कार कर बैठता है और जब अदृश्य शक्ति से डरने की भावना प्रबल रूप से उस पर हावी होती है, तो वह हवा, पानी, बिजली और आग ही नहीं, पेड़-पौधों यहां तक कि पत्थरों के आगे भी नतमस्तक हो जाता है। मानव-प्रकृति की इस विचित्र एवं विरोधाभासी स्थिति का एहसास तो बहुत लोगों को है, परन्तु इसका मूल कारण न जान पाने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते।

इस विचित्र स्थिति से निकलने के

लिए इन्सान क्या करे? क्या वह मात्र बुद्धि को सर्वोपरि मानते हुए उसी का अनुसरण करे और हर उस बात को अंधविश्वास ठहराए जो उसकी बुद्धि से परे हो? या फिर वह आस्था के नाम पर हर उस बात को स्वीकार कर ले, जो कथित धर्म गुरुओं द्वारा बताई जाए, चाहे बुद्धि उसे स्वीकार करे या न करे? निश्चय ही ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जिनके बीच किसी प्रकार समन्वय नहीं हो सकता। दोनों के बीच सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है।

इस्लाम ने इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों से हटकर एक तीसरा वैचारिक दृष्टिकोण पेश किया है जो एक ओर बुद्धिसंगत एवं तर्कसंगत भी है, दूसरी ओर वह इन्सान की अदृश्य शक्ति से डरने की नैसर्गिक भावना को भी सही दिशा प्रदान करता है। इस्लाम ने एक ओर तो बुद्धि को ही सब कुछ समझने वाले भौतिकवादियों की इस धारणा का खंडन किया कि यह ब्रह्मांड केवल एक आकस्मिक घटना के कारण स्वतः ही अस्तित्व में आ गया है और इसका कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते ही मानव-जीवन पूरी तरह निरुद्देश्य हो जाता है तथा नैतिक-अनैतिक, अच्छाई-बुराई का निर्धारण करने वाले सारे मूल्य निरर्थक हो जाते हैं।

इस्लाम ने इन्सान को बताया कि इस पूरी सृष्टि को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है और वही इसकी पूरी व्यवस्था को चला भी रहा है। इस कार्य में उसका कोई समकक्ष अथवा साझीदार नहीं है। कुछ अदृश्य प्राणी (फ़रिश्ते) हैं, जिनसे वह काम लेता है, परन्तु उनकी हैसियत मात्र आज्ञाकारी दास की है। इस्लाम ने इन्सान को इस सच्चाई से भी अवगत किया कि इस धरती पर उसका



जन्म यूं ही निरुद्देश्य नहीं हुआ कि वह बस मन चाहे ढंग से जीवन गुज़ारे और फिर मरकर सदैव के लिए अस्तित्वहीन हो जाए, बल्कि इन्सान को मात्र परीक्षा हेतु इस भौतिक संसार में भेजा गया है। यहां यदि वह अपने स्रष्टा, पालनहार ईश्वर के आदेशों पर चलेगा और उसके द्वारा निषिद्ध ठहराए कार्यों से बचेगा तो मरने के बाद परलोक में उसे इस आज्ञाकारिता का पुरस्कार जन्नत (स्वर्ग) के शाश्वत सुखों के रूप में मिलेगा।

इसके विपरीत यदि वह ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते हुए मात्र अपनी इच्छा का दास बनकर जिएगा या फिर आस्था के नाम पर हर कहीं नतमस्तक होता फिरेगा (दूसरे शब्दों में बुद्धि को ताक़ पर रख देगा)। दोनों स्थितियों में उसे सत्य-मार्ग से भटकने के अपराध में, मरने के बाद पारलौकिक जीवन में जहन्नम (नरक) की कठोरतम यातना का दंड भोगना होगा, जो स्वर्ग के सुखों की भांति ही अन्तहीन होगा।

यह एक सर्वविदित सत्य है कि इन्सान के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई-न-कोई उद्देश्य छिपा होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन्सान परिणाम की आशा के बिना कोई काम नहीं करता। जिस कार्य के सुखद परिणाम पर उसे जितना अधिक विश्वास होगा, उसके प्रति वह उतना ही सक्रिय नज़र आएगा। इसी प्रकार यदि किसी कार्य के दुष्परिणाम की उसे समुचित जानकारी हो जाए तो वह उससे यथासंभव बचने का प्रयास करेगा।

यदि इन्सान दूसरों को देखकर और स्वयं अपने अनुभवों से यह जान ले कि न तो अच्छाई का सुखद परिणाम मिलना अनिवार्य है और न यह निश्चित है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही मिले, तो ऐसी स्थिति में मानव को अच्छाई की प्रेरणा देने और बुराई से रोकने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जैसा कि हम वर्तमान समय में देख भी रहे हैं। समाज में कितनी ही नैतिक बुराइयां फैली हैं जिनके उन्मूलन के लिए लोग प्रयासरत भी हैं, इनमें भ्रष्टाचार का मामला तो सबसे ऊपर है। परन्तु क्या समाज से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सका? उत्तर है कि



नहीं। कारण स्पष्ट है कि हर कोई देख रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े-बड़े लीडरों को उनके जुर्म की कोई सज़ा नहीं मिलती और यदि मिलती भी है तो वह ऐसी नहीं होती जो उन्हें आगे ऐसा करने से रोक सके तथा दूसरों के लिए भी शिक्षाप्रद सिद्ध हो।

यही हाल सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का भी है। ऐसे लोगों की इस बिगड़ी व्यवस्था में कोई क़द्र नहीं है, बल्कि कुछ भौतिकवादी तो ईमानदारी को 'मूर्खता' का पर्याय बताने से भी नहीं हिचकते। उनका मानना है कि इस युग में ईमानदार वही हो सकता है जो मूर्ख होगा। यानी बेईमानी, धोखा, छल, कपट को इन्सान के स्वाभाविक गुणों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

ऐसा भी नहीं है कि इस समाज में केवल नास्तिक रहते हैं और सभी का इस पर मतैक्य हो चुका हो कि ईश्वर नाम की किसी सर्वोच्च सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, और यह कि मरने के बाद हर व्यक्ति को सदैव के लिए अस्तित्वहीन हो जाना है, बल्कि सच तो यह है कि समाज के अधिकांश लोग किसी-न-किसी धर्म से जुड़े होने के कारण न केवल ईश्वर में आस्था रखते हैं, बल्कि मृत्योपरान्त मिलने वाले दंड और प्रतिदान को भी किसी-न-किसी रूप में मानते हैं।

इस्लाम हमें बताता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें पैदा करके यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया है कि हम जो चाहें करते फिरें, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। वह न केवल हमारी हर गतिविधि को देख रहा है, बल्कि हमारी नीयतों और इरादों तक को वह जान रहा है। यदि हम अपनी चतुराई से अपराधों की सज़ा पाने से बच जाते हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि यह कोई अंधेर नगरी है, बल्कि ऐसा मात्र हमारी परीक्षा के कारण है और हमारे मरने के बाद एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हमें अपने हर अच्छे-बुरे कर्म का हिसाब देना होगा और उसी के हिसाब से पारलौकिक जीवन में हमें पुरस्कार या दंड दिया जाएगा।

परलोक की यह अवधारणा पूरी तरह तर्कसंगत भी है और न्यायसंगत भी। ऐसा कौन न्यायप्रिय व्यक्ति होगा जो यह न चाहेगा कि अपराधियों को उनके किए की भरपूर सज़ा मिले और पीड़ितों के साथ न्याय हो। परन्तु वर्तमान जगत में क्या ऐसा हो पा रहा है? न्याय-व्यवस्था का क्या हाल है सभी जानते हैं, बल्कि सच पूछिए तो कुछ हालात में न्याय-व्यवस्था उचित न्याय करने में असमर्थ भी सिद्ध होती है।

उदाहरणार्थ एक व्यक्ति हज़ारों आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। न्याय की मांग है कि उसे भी हज़ारों बार ही मौत दी जाए, परन्तु उसे उस व्यक्ति के बराबर एक ही बार मृत्युदंड दिया जा सकता है जिसने केवल एक व्यक्ति की हत्या की थी। परन्तु सर्वशक्तिमान ईश्वर इसकी पूरी सामर्थ्य रखता है कि वह हर व्यक्ति को उसके अपराधों के अनुकूल दंड दे और इसी प्रकार उसके सत्कर्मों के अनुरूप पुरस्कार भी। इस्लाम द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त अवधारणाएं जीवन के प्रति इन्सान के सही दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि वैचारिक दृष्टिकोण ही जीवनशैली को निर्धारित करता है।

■■

मज़हब नहीं सिखाता...

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

मनुष्य को बुराई से हटाकर भलाई की ओर लाने, उसकी पशु वृत्तियों को सात्विक वृत्तियों में बदलने और उसे सन्मार्ग पर चलाने का नाम धर्म है। सम्भवतः यही कारण है कि सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं। कोई धर्म चोरी करने, झूठ बोलने, किसी का अपमान करने, कष्ट पहुंचाने, घृणा करने और अत्याचारी बनने की अनुमति नहीं देता। धर्म ने सदैव सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, स्नेह, सहानुभूति, सहायता, सद्कर्म एवं सद्व्यवहार को अपनाने पर ज़ोर दिया है। मानव जाति का इतिहास सदैव से प्रगतिशील एवं उन्नतशील रहा है। उसकी इस उन्नति और विकास यात्रा में धार्मिक मूल्यों ने प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाई। इन्हीं मूल्यों में अहिंसा एक ऐसा प्रमुख धार्मिक मूल्य है जो व्यवहारिक रूप से मनुष्य के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संदर्भों में उल्लेखनीय भूमिका निभाता रहा है।

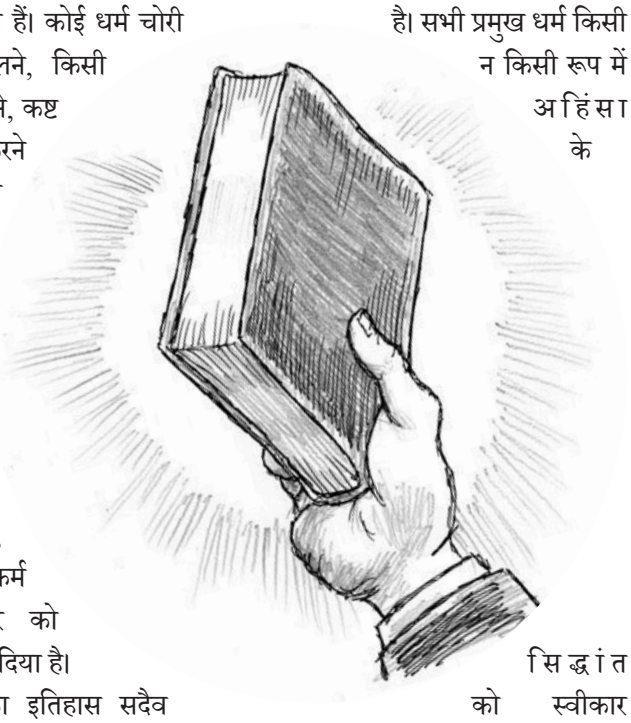

अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को अकारण न मारना। मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न देना। अहिंसा हर धर्म में किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाई गई है। संसार के लगभग सभी धर्मों में अहिंसा की अवधारणा मिलती है। सभी प्रमुख धर्म किसी न किसी रूप में अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं।

हिंदू धर्म में अहिंसा

हिंदू दर्शन अहिंसा के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। हिंदू दर्शन और इसकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि है। चारों वेदों में से प्रत्येक के चार विभाग हैं। जैसे संहिता,

ब्राह्मण, आरण्यक, तथा उपनिषद्। इनके अलावा स्मृति, सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण और गीता वैदिक परम्परा के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों में अहिंसा की स्पष्ट व्याख्या तो नहीं मिलती, किंतु अहिंसा के फलस्वरूप जिन मूल्यों का विकास होता है, उनकी चर्चा अवश्य मिलती है। मैत्री, सद्भावना, अपराध को क्षमा करने की मांग आदि अहिंसात्मक विचार ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। लघु उपनिषदों में अहिंसा को सद्गुण या आत्म संयम के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का चरित्र अंकित है। इस चरित्र के माध्यम से जीवन में विकास के लिए अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा, आतिथ्य, शतुओं की सहायता, मन वचन की शुद्धि जैसे सद्गुणों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में पांडव-कौरवों की कथा के माध्यम से मनुष्यों की अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। अहिंसा की महान भावना का महत्व बताते हुए वेदव्यास ने कहा-''धर्म और अर्थ दोनों ही पुरुषार्थों से अहिंसा उच्च कोटि की है।''

'श्रीमद्भगवत्गीता' महाभारत के 'भीष्मपर्व' का एक अंश है। श्रीमद्भागवत गीता की दृष्टि में, अहिंसा वह कर्म है जिसको करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या व्याकुलता नहीं होती, जबकि हिंसा वह कर्म है जिसके करने से व्यक्ति हर पल भयभीत तथा व्याकुलता रहता है। गीता सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ दया-भाव का उपदेश देती है। पुराण साहित्य में भी अहिंसा का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में कहा गया है कि मन, वाणी और कर्म से सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। अग्नि-पुराण में कहा गया है कि ''अहिंसा एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है।'' मत्स्य पुराण के अनुसार, अहिंसा मुनि व्रतों में से एक है। ब्रह्मपुराण कहता है-जो मन से भी किसी प्राणी से हिंसा नहीं करता है, वह स्वर्गवासी होता है। नारद पुराण में कहा गया है-वे ही सभ्य वचन हैं, जिनमें किसी का विरोध न हो, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे । यही अहिंसा का रूप है। इसके अलावा शिवपुराण, बृहद्धर्मपुराण एवं भागवत पुराण

अनावश्यक हिंसा न हो, आक्रामक हिंसा न हो इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज एक ऐसी व्यवस्था का सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें मनुष्यों के बीच हिंसा के बीज को पनपने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां न मिलने पाएं। इसके लिए विश्वभर के तमाम धर्म गुरुओं और मज़हबी रहनुमाओं को भी आगे आना होगा ताकि एक शांतिमय मानव समाज तथा हिंसारहित व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सके।

आदि में भी अहिंसा को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही इसके पालन को आवश्यक बताया गया है।

जैन धर्म में अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन

जैन धर्म में अहिंसा का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया गया है। जैन धर्म का मूल आधार ही अहिंसा है। श्रमण में महावीर स्वामी ने कहा है-''हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती'' जो व्यक्ति ख़ुद हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और उसका अनुमोदन करता है, वह अपने लिए बैर ही बढ़ाता है। सच्चा संयमी वही है, जो मन, वचन और शरीर से किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं करता। अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पांच व्रतों का पालन आवश्यक है। वे पांच व्रत हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) और अपरिग्रह।

बौद्ध धर्म में अहिंसा की परिभाषा

बौद्ध धर्म में अहिंसा की प्रधानता रही है। इस धर्म के प्रसिद्ध एवं मान्य ग्रंथों में अहिंसा की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि मन, वचन और कर्म से अन्य प्राणियों को कष्ट न दिया जाए। अहिंसावादी न स्वयं किसी को कष्ट देता है, और न अन्य किसी को कष्ट देने के लिए प्रेरित करता है। भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शील पर प्रकाश डाला और कहा ये तीन शील हैं, जो सभी भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं। इन शीलों में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य तथा नशीले पदार्थों का परित्याग शामिल है। बुद्ध ने मैत्री भावना, करुणा, मुदिता भावना और उपेक्षा भावना पर बल दिया है। बौद्ध धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धर्म स्वीकार करता है। इसके मूल सिद्धांत अहिंसा पर आधारित हैं तथा अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला कृत, कारित, तथा अनुमोदित-तीनों प्रकार की हिंसा का वर्जन करता है।

सिख धर्म में अहिंसा की प्रेरणा

गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास साहिब जी, गुरु रामदास साहिब जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हर राय साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, और गुरु गोबिंद सिंह जी ये सिखों के दस गुरु हुए। समाज को सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और परोपकार जैसे सर्वश्रेष्ठ

मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने वाले संत गुरु नानक देव जी आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। सिख धर्म के गुरुओं के वचनों में एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है जिसमें मनुष्य जाति का, प्रकृति का और जीव-जंतुओं का उद्धार हो। यह धर्म न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था में विश्वास करता है। अपनी संपत्ति को सदा निर्धन और निर्बल के साथ बांटने की अद्भुत कामना सिख धर्म सिखाता है। निर्बल और निर्धन के बीच यह चाह किसी भी व्यवस्था को अहिंसक होने के लिए प्रेरित करती है। यह सेवा और परिश्रम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सेवा भी अहिंसा का एक रूप है। सेवा भाव में घृणा के भाव नहीं बचते।



गुरु हरगोबिन्द जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे, उनका मानना था कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है। चरम अहिंसा और अति-शांतिवाद बुराई की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार गुरु हरराय जी के बारे में कहा जाता है कि व्यक्तिगत जीवन में वे अहिंसा को मानते थे, लेकिन आत्मरक्षा में शस्त्र उठाने के लिए कहते थे।

सिख धर्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मनुष्य को प्रेम के नियम पर ही चलकर ही सेवा और सत्कर्म की ओर बढ़ा जा सकता है। सिख धर्म के दुनिया भर में अनुयायियों की सेवा धार्मिता आज भी सराहनीय है। गुरूद्वारे हों या लंगर उसमें जाने वाले लोग सिख धर्म के दस्तावेज़ी ज्ञान से चाहे भले ही अनभिज्ञ हों, लेकिन उसकी सेवा भावना से यह अवश्य समझ जाते हैं कि अहिंसक जीवन एक उत्तम आचरण है।

यहूदी धर्म में अहिंसा की शिक्षाएं

यहूदी धर्म अब्राहमवादी धर्मों में से एक प्रमुख धर्म है। यहूदी धर्म के अनुसार, किसी व्यक्ति के आत्म-सम्मान को चोट न पहुंचाओ। किसी के सामने किसी व्यक्ति को अपमानित न करो। किसी का अपमान करना उतना ही बड़ा पाप है, जितना कि किसी व्यक्ति का ख़ून करना। वह व्यक्ति दुष्ट कहलाएगा जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए हाथ उठाता है। यहूदी धर्म कहता है कि-अपने मन में किसी के भी प्रति वैर का दुर्भाव मत रखो। इसमें बंधुत्व की भावना को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा गया है-बंधुत्व प्रेम जाति और धर्म की सीमाओं के ऊपर है। अपने पड़ोसी से प्यार करो तथा उनके प्रति तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना न रहे। उनसे इर्ष्या न करो। उनसे घृणा करना ईश्वर से घृणा करने के समान है। अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यहूदी धर्म ने मानवता पर बल दिया है तथा इसे विकसित करने के लिए ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, सत्य और भक्ति जैसे सद्गुणों को महत्वपूर्ण माना है। दया और प्रेम को उन्होंने ईश्वरीय गुण माना है। यहूदी धर्म ने विलास, क्रोध और अन्याय आदि दुर्गुणों को नष्ट करने की प्रेरणा दी है।

ईसाई धर्म में अहिंसा का रूप

ईसाई धर्म में अहिंसा के जिस रूप का उल्लेख मिलता है उसके अनुसार- ''तुम अपने दुश्मन को भी प्यार करो और जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। अपने शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुमसे बैर करें, उनका भी भला सोचो और करो। जो तुम्हें शाप दें, उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी तरफ़ दूसरा गाल भी कर दो। जो तुम्हारी चादर छीन ले, उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। सब भाई-भाई हैं। अतः हमें सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सेवा, प्रेम एवं अहिंसा से दूसरों के हृदय को जीतना चाहिए और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। निस्वार्थ सेवा से स्वर्ग मिलता है। प्रतिशोध की भावना निंदनीय है। कोई तुमसे घृणा करे, तो तुम उससे प्रेम करों। ईसाई धर्म में शांति और क्षमाशीलता पर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया है। विश्व बंधुत्व, दया, सेवा, प्रेम, त्याग, सहनशीलता, उदारता, विनम्रता और आन्तरिक पवित्रता आदि गुणों पर विशेष बल दिया गया है।

इस्लाम में अहिंसा का स्वरूप

इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है-शान्ति। इस्लाम को व्यवस्थामूलक धर्म माना जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस्लाम स्वयं में व्यवस्था की एक ऐसी आचार संहिता है, जोकि नीतिशास्त्र पर आधारित है। इस्लाम में सामाजिक समानता, दया, उदारता और विश्व-बन्धुत्व पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसकी व्यवहारिकता की विशेषता के कारण जनसाधारण ने इसे अपना लिया। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने विश्व-बंधुत्व तथा सामाजिक समानता की शिक्षा दी। उनका कहना था कि संसार के सभी मनुष्य एक समान हैं। वे सभी एक ईश्व के बन्दे हैं, इसलिए उनको एक-दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम में सद्गुण और दुर्गुण का स्पष्ट विवेचन हुआ है। इसमें ईश्वर पर विश्वास करने, निर्धनों और दुर्बलों के प्रति दया-भाव रखने की सीख दी गई है। इस्लाम में गाली, क्रोध, चुग़ली, लोभ, ख़ूनख़राबा, रिश्वत लेना, झूठा अभियोग, बेईमानी, मदिरापान, ईर्ष्या, चापलूसी, लालच, पाखंड, असत्य, कंजूसी, आभिमान, आत्महत्या, ब्याज लेना, हिंसा, उच्छृंलता, आदि से दूर रहने की शिक्षा दी है। इसके अलावा इस्लाम ने मनुष्य को उन सभी कार्यों से दूर रहने की शिक्षा दी है, जिससे मनुष्य को अंततः हानि होती हो।

इसके विपरीत इस्लाम भाईचारा, दान, स्वच्छता, क्षमा, मैत्री, कृतज्ञता, विनम्रता, न्याय, दया, श्रम, उदारता, प्रेम, कृपा, संयम, शालीनता, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार, हृदय की शुद्धता, सदाचार, धैर्य, सत्य, विश्वास आदि सद्गुणों को अपनाने पर ज़ोर देता है। कुल मिलाकर इस्लाम में उन तत्वों की अवहेलना की गई है, जिनसे हिंसा भाव की उत्पत्ति होती है और उन तत्त्वों को अपनाया गया है, जिनसे अहिंसा भाव की पुष्टि होती है एवं अहिंसा का विकास होता है।

इस्लाम धर्म के अन्तर्गत ही सूफ़ी सम्प्रदाय भी विकसित हुआ। सूफ़ी दर्शन का रहस्य है-परमात्मा संबंधी सत्य का परिज्ञान करना। परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना। सूफ़ी सम्प्रदाय में प्रेम के अधिक्य पर बल दिया गया है। वे

पता चला कि उक्त सभी धर्मों में अहिंसा और इसकी प्रेरणा देने वालों भावों को ग्रहण करने की शिक्षा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अहिंसा, प्रेम और भाईचारे की शिक्षाओं पर इतना ज़ोर दिए जाने के बावजूद आज दुनियाभर में हिंसा, घृणा, नफ़रत एवं आतंक का माहौल क्यों है?

परमात्मा को प्रियतम मानकर सांसारिक प्रेम के माध्यम से प्रियतम के सन्निकट पहुंचना चाहते हैं। सूफ़ीवाद का मानना है कि मानवीय प्रेम ही आध्यात्मिक प्रेम का साधन है, प्रेम परमात्मा का सार है। प्रेम ही ईश्वर की अर्चना करने का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट रूप है।

इस लेख की उपरोक्त पंक्तियों में हमने संसार के कुछ प्रमुख बड़े धर्मों की अहिंसा, दया, करुणा, क्षमाशीलता, सद्भाव, भाईचारे और सेवा भाव की शिक्षाओं के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास किया। पता चला कि उक्त सभी धर्मों में अहिंसा और इसकी प्रेरणा देने वालों भावों को ग्रहण करने की शिक्षा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अहिंसा, प्रेम और भाईचारे की शिक्षाओं पर इतना ज़ोर दिए जाने के बावजूद आज दुनियाभर में हिंसा, घृणा, नफ़रत एवं आतंक का माहौल क्यों है? सवाल यह भी उठता है समाज में अहिंसा की शिक्षाएं प्रभावहीन क्यों हैं?

वास्तविकता यह है कि मनुष्य के भीतर कुछ मौलिक मनोवृत्तियां पाई जाती हैं, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के अन्दर हिंसा और अहिंसा दोनों के बीज उपस्थित हैं। व्यक्ति के भीतर अधिकार की भावना, परिग्रह की भावना, भय का भाव आदि व्यक्ति में हिंसा उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब भी व्यक्ति इनकी पूर्ती येन-केन प्रकारेण करना चाहता है। उसकी यही इच्छाएं उसे अपराध की ओर प्रवृत्त करती हैं। हत्या, लूट, चोरी आदि अनैतिक कृत्य व्यक्ति करने लगता है, जो एक सामाजिक समस्या जाती है। मनुष्य का अहिंसक व्यवहार तभी संभव है जब हम आन्तरिक एवं बाहरी दोनों ही दिशाओं में परिवर्तन का प्रयत्न करे । किसी एक परिवर्तन से अहिंसक व्यक्तित्व एवं समाज का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि हमारे अन्दर हिंसा एवं अहिंसा दोनों के बीज उपस्थित हैं। अनावश्यक हिंसा न हो, आक्रामक हिंसा न हो इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज एक ऐसी व्यवस्था का सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें मनुष्यों के बीच हिंसा के बीज को पनपने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां न मिलने पाएं। इसके लिए विश्वभर के तमाम धर्म गुरुओं और मज़हबी रहनुमाओं को भी आगे आना होगा ताकि एक शांतिमय मानव समाज तथा हिंसारहित व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सके। ■■

विवेचना

सैयद जलालुद्दीन उमरी

मानव-एकता और संघर्षों का मूल कारण



यदि पिछले, वर्तमान और भविष्य के सारे मनुष्य किसी एक स्थान पर एकत्र किए जाएं और उनसे उनकी भावनाओं, अनुभूतियों एवं उनकी आवश्यकताओं के संबंध में प्रश्न किया जाए तो सबके उत्तर एक समान होंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुख और दुख की भावनाओं और नैसर्गिक प्रेरणाओं से रिक्त हो या उसकी भावनाएं दूसरों की भावनाओं से और उसकी नैसर्गिक प्रेरणाएं दूसरों की नैसर्गिक प्रेरणाओं से भिन्न हों, किन्तु इसके बावजूद मनुष्य विभिन्न सम्प्रदायों और गिरोहों में विभाजित हैं और प्रत्येक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय का प्रतिद्वन्द्वी है। मानो प्रत्येक गिरोह और प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग और उनकी आवश्यकताएं भिन्न एवं विपरीत हैं।

जब वास्तविकता यह है कि सारे ही इन्सान अपनी प्राकृतिक भावनाओं, सैद्धान्तिक हितों और मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से एक इकाई हैं तो वह कौन-सी चीज़ है, जो उनको संघर्ष और टकराव की ओर ले जाती है और एक-दूसरे को क्षति पहुंचाने और रक्तपात करने पर उभारती है? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य इस संसार में अपने जीवन के लिए एक ऐसा लक्ष्य चाहता है जो उसकी कामनाओं और अभिलाषाओं का केन्द्र हो, जिसे पाकर वह शांति और सन्तुष्टि महसूस करे और जिसे वह अपने जीवन की उपलब्धि समझे। इस प्रकार के किसी लक्ष्य के बिना उसे शांति नहीं मिल सकती, बल्कि वह जीवित नहीं रह सकता। जीवन के इस लक्ष्य को पाने में वह भटकता रहा है। यहीं से उसकी विफलता और दुर्भाग्य की कहानी शुरू होती है।

इस संसार में अधिकांश मनुष्यों का जीवन लक्ष्य बहुत ही मामूली होता है।

वे अपने व्यक्तित्व के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं या अधिक-से-अधिक बीवी-बच्चों का हित उनके सामने होता है। कुछ लोग इससे ऊपर उठकर सोचते भी हैं तो उनकी दृष्टि सीमित ही रहती है और छोटे-छोटे उद्देश्यों ही पर वह अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य लगाते हैं, लेकिन यह एक वास्तविकता है कि कोई भी सीमित उद्देश्य, चाहे वह अपनी जगह कितना ही लाभप्रद और उपयोगी क्यों न हो, सारे मनुष्यों और उनके विभिन्न वर्गों और गिरोहों का उद्देश्य नहीं बन सकता। उससे प्रेम सबके लिए सम्भव नहीं है, बल्कि उससे रुचि भी प्रत्येक को मुश्किल ही से पैदा हो सकती है। यही चीज़ मनुष्यों के बीच सारे मतभेदों और संघर्षों का मूल कारण है।

इन सीमित जीवन-लक्ष्यों का एक इतिहास है। मनुष्य जब क़बायली जीवन व्यतीत कर रहा था तो उसने सोचा कि उसके जीवन का उद्देश्य परिवार और वंश (क़बीले) की सेवा है, वंश के हितों के लिए संघर्ष, उसकी सहायता एवं उसका समर्थन और शत्रु से उसकी प्रतिरक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि परिवार ही मनुष्य के पालन-पोषण की जगह है, वह उसको अस्तित्व में लाता और दौड़-धूप के योग्य बनाता है। उसकी समस्त शक्तियां और योग्यताएं अपने समूह के उपकारों का प्रतिफल होती हैं। अतः इन शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग भी वंश की सेवा ही हो सकती है। वह मनुष्य सफल है जिसकी शक्तियां और योग्यताएं उसके वंश की सेवा में अर्पित हों।

इतिहास जब कुछ और आगे बढ़ा तो मनुष्य ने कहा कि उसकी शक्तियों और योग्यताओं को अकेले वह वंश नहीं उभारता जिसमें वह पैदा हुआ है, बल्कि उसकी प्रगति और विकास में बहुत से दूसरे परिवार और वंश भी सहभागी होते हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि मनुष्य केवल अपने वंश के विषय में सोचे और उसी के हित के लिए सब कुछ करे। उसकी सेवाओं और बलिदानों का दायरा अपने वंश तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे उन सभी वंशों तक विस्तृत होना चाहिए जो एक भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा ही विभिन्न वंशों को जोड़ने का साधन है।

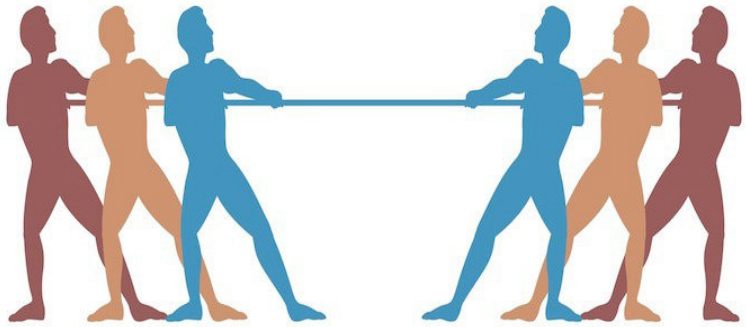

इसी से विचारों में समानता पैदा होती है और विभिन्न वंश एक-दूसरे के समीप आते और एक-दूसरे के सहायक बनते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि परिवार, वंश और अपनी भाषा बोलने वालों से प्रेम के फलस्वरूप उनकी सेवा और सुरक्षा की भावना उभरी, कल्याणकारी योजनाएं बनीं, शत्रुओं से प्रतिरक्षा के प्रयास हुए, प्रगति के रास्ते तलाश किए गए और एक विशेष सीमा में लाभ भी पहुंचा, लेकिन यही चीज़ दूसरे वंशों और दूसरी भाषा बोलने वालों से दूरी का कारण भी बनी। जहां एक वंश का हित दूसरे वंश के हित से या एक भाषा बोलने वाले के हित दूसरी भाषा बोलने वालों के हितों से टकराए, तो मतभेद उभरे, शत्रुता और वैमनस्य सामने आए, मुठभेड़ के मैदान तैयार हुए और हत्या एवं संहार से धरती लहूलुहान होती रही। इतिहास इस तबाही और विनाश का अवलोकन करता रहा है।

इस (उपर्युक्त समस्या) के समाधान के लिए विश्व बन्धुत्व की धारणा प्रस्तुत की जाती है। अर्थात् सभी राष्ट्र अपने सामान्य हितों में एकजुट हो जाएं और उनकी प्राप्ति के लिए मिल-जुलकर संघर्ष करें। स्वयं भी जीवित रहें और दूसरों को भी जीवित रहने का अधिकार दें, लेकिन यह एक काल्पनिक धारणा है। विश्व के घटना-चक्र ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है। मनुष्य के सारे निर्णय और सारी चेष्टाएं उसके सिद्धांतों के अधीन होती हैं। सिद्धांतों ही के आधार पर युद्ध एवं शांति, मित्रता और शत्रुता होती है। इन्हीं सिद्धांतों के कारण सम्पर्कों एवं संबंधों में स्थायित्व या दुर्बलता आती है। सिद्धांतों में परस्पर असंगति हो तो मतभेद अनिवार्यतः उत्पन्न होंगे। जो व्यक्ति साम्यवाद में विश्वास रखता हो पूंजीवाद की ओर समझौते का हाथ बढ़ाना उसके लिए असम्भव है।

राष्ट्र-भक्त की मानसिकता राष्ट्रवाद के विरोध को सहन नहीं कर सकती। वैचारिक अन्तर्विरोध का इतिहास बताता है कि इससे मनुष्यों के बीच हमेशा वैमनस्य और युद्ध रहा है। यह कैसे सम्भव है कि आज यही चीज़ प्रेम एवं सौहार्द का साधन बन जाए? यह एक ऐसा स्वाभाविक प्रश्न है जिसको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

■■

विमर्श



सैयद हामिद
मोहसिन

धर्म का दुरुपयोग



श्रीलंका में हिन्दू तमिल अलगाववादियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में बहुसंख्यक बौद्ध सिंहलियों ने तमिल लड़ाकों के विरुद्ध जन-सहयोग जुटाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की सेवाएं प्राप्त कीं।

उग्र समूहों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाइयों की बार-बार एक व्याख्या यह की जाती है कि ये लोग हिंसक कार्रवाइयां करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। 'चूंकि इसमें धर्म का हवाला दिया जाता है' इसलिए इन कार्रवाइयों की व्याख्या इस तरह की जाती है कि धर्म को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है।

ऐसा व्यवहार केवल मुस्लिम समूहों के साथ ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। राष्ट्रवादी आन्दोलन और स्वतंत्रता संघर्ष भी कुछ धार्मिक नारों या प्रतीकों पर आधारित होते हैं। चूंकि धर्म लोगों के दिलों को गहराई तक छूता है, इसलिए कि धर्म उनके साथ हज़ारों वर्षों से मौजूद रहा है, जबकि राष्ट्र-राज्यों का उदय मात्र पिछली दो सदियों के दौरान हुआ है। इसलिए इस्लामवाद क्षेत्रीय सभ्यता में अपनी गहरी जड़ों और क्षेत्रीय उद्देश्यों के नाम पर लोकप्रिय समर्थन जुटाने की योग्यता के कारण संघर्ष के लिए सबसे नया और सबसे ताक़तवर वैचारिक माध्यम है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ऐसा केवल इस्लामिक समूहों के साथ ही नहीं है। अर्थात् सभी धर्मों के उग्र समूह धर्म का सहारा लेते हैं। अगस्त सी के द्वारा लिखित पुस्तक द फर्स्ट क्रूसेड: द एकाउंट्स ऑफ़ आई विटनेसेज एंड पार्टिसिपेंट्स से लिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। नवम्बर 1095 में पोप अरबन द्वितीय ने मुस्लिम जगत के उपनिवेशीकरण के लिए पहला यूरोपीय प्रयास शुरू किया जिसका नाम पश्चिम में क्रूसेड है : उसमें वह मुस्लिम जनता को काफ़िर और बर्बर घोषित करता है और वह यूरोप की ईसाई जनता को आदेश देता है कि वह हज़रत ईसा के नाम पर सबके सब जाकर उनकी हत्या करें और उनकी ज़मीनें ख़ाली कराएं और वास्तव में यह ईसा मसीह का आदेश है। पुस्तक आगे दृश्य का विवरण देती है.....यरुशलम पर 15 जुलाई 1099 को क्रूसेड करने वालों ने विजय प्राप्त की जिन्हें क्रिश्चियन नाइट भी कहा जाता है। इसके दौरान यहां के 60,000 नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिनमें यहूदी और मुसलमान सम्मिलित थे।

इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम और यहूदी पक्ष का कोई भी व्यक्ति इस नरसंहार में बच नहीं पाया। क्रिश्चियन नाइट अथवा ईसाई धर्म के रक्षकों की तलवारों के नीचे जो भी शिशु, बालक, महिला और बूढ़ा व्यक्ति नहीं बच सका जो हज़रत ईसा की मजार के सामने शुक्रिया अदा करने जाते थे। क्या ईसाई धर्म के बारे में इन घटनाओं की रोशनी में फ़ैसला किया जाना चाहिए? वास्तविकता यह है कि इस बात पर कोई ईसाई और वास्तव में कोई सभ्य ग़ैर-ईसाई भी सहमत नहीं होगा, तो क्या केवल यह बात ही सही होगी कि इस्लाम के बारे में फ़ैसला उन सूक्ष्म अल्पसंख्यक चरमपंथी समूहों के माध्यम से करना चाहिए जो अल्लाह के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं।

यहां पर एक और बिन्दु याद रखने योग्य है कि किसी तरह ईसाई धर्म के नाम पर समान रूप से सरकारों और गिरिजाघरों द्वारा हत्या और लूट को प्रारंभ करने, संस्थागत करने और समर्थन करने का काम किया गया। इसे संस्थागत आतंकवाद का नाम भी दिया जा सकता है। दूसरी तरफ़ इस्लाम के नाम पर जो वारदातें अंजाम दी जाती हैं वह अक्सर कुछ व्यक्तियों की हरकतें होती हैं। जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्था या सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता और इसी तरह इन्हें मुस्लिम नेतृत्व का समर्थन भी प्राप्त नहीं होता।

बैप्टिस्ट क्रिश्चियन नाम के समुदाय के कुछ सदस्यों ने अनेक गर्भपात क्लीनिकों पर बमबारियों को धर्म के अनुकूल बताने के लिए अपने धर्म-ग्रंथों की तोड़-मरोड़ कर व्याख्या की, जिनमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए।

जब स्टालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में थर्ड रीच की सेना के आक्रमण का अपने आपको शिकार पाया तो वह निश्चित रूप से जानता था कि मार्क्सवाद और लेलिनवाद प्रतिरोध संघर्ष के लिए लोगों के दिलों को आन्दोलित नहीं कर सकता। अतः वह रूसी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ा और बाद में निराश होकर लोगों को एक बिन्दु पर एकत्र करने के लिए आर्थोडॉक्स चर्च में विश्वास व्यक्त किया जो पवित्र मदर रसिया का प्रतीक था।

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापानी साम्राज्य एशिया में अपनी विस्तारवादी और उपनिवेशवादी नीतियों के लिए जन-समर्थन जुटाने के लिए एक माध्यम तलाश कर रहा था। जापान की आत्मा को उभारने के लिए सिंटो धर्म के पवित्र चरित्र और बौद्ध धर्म के कुछ रूपों का भी प्रयोग किया।

श्रीलंका में हिन्दू तमिल अलगाववादियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में बहुसंख्यक बौद्ध सिंहलियों ने तमिल लड़ाकों के विरुद्ध जन-सहयोग जुटाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की सेवाएं प्राप्त कीं।

नाज़ी जर्मन तानाशाह हिटलर जो संयोग से एक धर्मान्ध ईसाई था। वह जो कुछ कर रहा था उसके बारे में उसका विश्वास था कि वह ईश्वर की योजना है, उसने नरसंहार किया जिसमें लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे गए, उसने जर्मन युद्ध में अपने समर्थन के लिए चर्च का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया।

युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राष्ट्रीय संघर्ष को धार्मिक वैधता प्रदान करने के लिए मुख्यधारा के चर्चों और धर्म-गुरुओं-प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और यहूदी की सेवाएं प्राप्त की गईं।

इसी तरह भारत में भी चरमपंथी दक्षिणपंथी ताक़तें अधिकतर हिन्दू प्रतीकों पर भरोसा करती हैं और चुनाव के समय राष्ट्रीय हितों को हिन्दू हितों से और हिन्दू हितों को राष्ट्रीय हितों से मिलाने का प्रयास करती हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे बहुसंख्यक समुदाय के ध्रुवीकरण के लिए मिथ्यारोपण करते हैं और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण जैसे विवादों को हवा देते हैं।

जहां भी जन-समर्थन और बड़े अभियानों, युद्धों को सही सिद्ध करने के लिए समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, वहां सदैव धर्म का उपयोग किया जाएगा, लेकिन ये उद्देश्य, अभियान, युद्ध धर्म के लिए नहीं होते। धर्म को अलग भी कर दें तब भी अभियान लड़ाइयां और युद्ध होते रहेंगे। ■■

अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष



निष्कर्ष



डॉ. मुहम्मद अहमद

इस्लाम व्यावहारिक मानव-जीवन के प्रत्येक अंग के लिए एक प्रणाली है। यह वह प्रणाली है जो आस्था-संबंधी उस कल्पना को भी अपने में समाहित किये हुए है, जो जगत की प्रकृति की व्याख्या करती और जगत में मानव का स्थान निश्चित करती है, जिस प्रकार वह मानव अस्तित्व के मौलिक उद्देश्य को निश्चित करने का कार्य करती है। इसमें सिद्धांत और व्यावहारिक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जो इस आस्थात्मक कल्पना से निकलती एवं इसी पर निर्भर करती हैं और इसे वह व्यावहारिक रूप प्रदान करती मानव-जीवन में चित्रित होता है।

'इस्लाम' अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है-

''शांति में प्रवेश करना। यह संधि कुशलता, आत्म-समर्पण, आज्ञापालन और विनम्रता के संदर्भ में भी प्रस्तुत होता है। इस्लाम अर्थात् वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य शांति-प्राप्ति के लिए अल्लाह की शरण लेता है और क़ुरआन एवं हदीस (हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के वचन एवं कर्म) द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और अहिंसा का व्यवहार करता है।''

(शॉरटर इन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ इस्लाम, पृष्ठ 176)

इस्लाम मनुष्य को शांति और सहिष्णुता का मार्ग दिखाता है। यह सत्य, अहिंसा, कुशलता का समर्थक है। इसका संदेश वास्तव में शांति का संदेश है। इसका लक्ष्य शांति, सुधार और निर्माण है। वह न तो उपद्रव और बिगाड़ को पसन्द करता है और न ही ज़ुल्म-ज़्यादती, क्रूरता, अन्याय, अनाचार, अत्याचार, असहिष्णुता, पक्षपात और संकीर्णता आदि विकारों व बुराइयों का समर्थक है। ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा कि जो व्यक्ति भी इस्लाम में आया, सलामत रहा।

इतिहास में झांकें तो यह तथ्य स्पष्टतया सामने आता है कि हज़रत

मुहम्मद (सल्ल०) से पूर्व अरबवासी सभ्यता और मानवोचित आचार-व्यवहार से कोसों दूर थे, इसीलिए इस युग को 'ज़माना-ए-जाहिलियत' (अज्ञानकाल) कहा जाता है (लिटररी हिस्ट्री ऑफ़ अरब्स-आरए निकल्सन, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी, पृष्ठ 25)। उस युग में चारों ओर अज्ञान, अनाचार, अशांति, अमानवीय कृत्यों और वर्गगत विषमताओं का साम्राज्य था। अरबों में अधिकतर बद्दू थे, जो प्रायः असभ्य होने के साथ-साथ अत्यंत पाषाणहृदय भी थे। इनके बारे में पवित्र क़ुरआन में कहा गया है-''ये बद्दू इन्कार और कपटाचार में बहुत ही बढ़े हुए हैं।''

इस्लाम ने उन सभ्य आचार-विचार से रहित बद्दुओं को सन्मार्ग दिखाया और उन्हें पशुत्व से ऊपर उठाकर मानवता के श्रेष्ठ मूल्यों से परिचित कराया, बल्कि उन्हें दूसरों के पथ-प्रदर्शक एवं अल्लाह के धर्म का आवाहक बना दिया। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने लोगों को सदाचार और नैतिकता की शिक्षा दी। उन्हें प्रशिक्षित कर आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया और समाज को तथ्यहीन रीति-रिवाजों से मुक्त कर उच्च कोटि के नैतिक व्यवहार, संस्कृति, सामाजिकता और अर्थ के नये नियमों पर व्यवस्थित कर सुसंगठित किया।

इस्लाम के विरोधी लोग और ऐसे कुछ लोग भी जो इस्लाम की शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं, यह दुष्प्रचार करते हैं कि यह हिंसा और आतंकवाद का समर्थक है। ये शब्द इस्लामी शिक्षाओं के विपरीतार्थक शब्द हैं, जिनका इस्लाम से दूर-दूर का भी कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं कुछ मुसलमान अपने व्यक्तिगत हित के लिए हिंसा और आतंकवाद का मार्ग अपनाएं और इन्हें बढ़ावा दें, तो भी किसी प्रकार इनका संबंध इस्लाम से नहीं जुड़ सकता, बल्कि यह धर्म-विरुद्ध कार्य होगा और इसे धर्म के बदतरीन शोषण की संज्ञा दी जाएगी। इस्लाम दया, करुणा, अहिंसा, क्षमा और परोपकार का धर्म है। इसके कुछ सुदृढ़ प्रमाणों पर यहां चर्चा की जाएगी।

क़ुरआन का आरंभ 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' से होता है। क़ुरआन की सभी सूरतों (अध्यायों) का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से होता है और इन्हीं शब्दों के साथ मुसलमान अपना प्रत्येक कार्य प्रारंभ करते हैं। इनका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-'अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान है।' इस वाक्य में अल्लाह की दो सबसे बड़ी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। वह अत्यंत करुणामय है और



वह अत्यंत दयावान है। उसके बन्दों और भक्तों में भी ये उत्कृष्ट विशेषताएं अभीष्ट हैं। उसके बन्दों की प्रत्येक गतिविधि उसकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति के लिए होती है।

क़ुरआन में है-''अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है? और हम तो उसी की बन्दगी करते हैं।''

(क़ुरआन, 2:138)

अल्लाह की कृपाशीलता और उसकी दयालुता का ज़िक्र (बखान) अल्लाह का बन्दा प्रत्येक नमाज़ में बार-बार करता है और अपनी परायणता व विनयशीलता की अभिव्यक्ति बार-बार करता है। यह उसकी सहिष्णुता का द्योतक भी है। पवित्र क़ुरआन के प्रथम अध्याय का का पाठ अल्लाह का बन्दा प्रत्येक नमाज़ में अनिवार्यतः करता है, क्योंकि यह नमाज़ का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अभाव में नमाज़ का आयोजन पूर्ण नहीं हो सकता। यहां इस अध्याय का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है, ताकि संदर्भित विषय भली-भांति स्पष्ट हो सके-

''प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का प्रभु है, बड़ा कृपाशील और दया करने वाला है, बदला दिये जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग, जो तेरे कृपापात्र हुए, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं।''

(क़ुरआन, 1:1-7)

इस्लाम की शांति, सहिष्णुता, सद्भावना की शिक्षाएं समझने के लिए पवित्रा क़ुरआन की कुछ आयतों के अनुवाद यहां प्रस्तुत हैं-

''जब कभी उनसे कहा गया कि धरती पर फ़साद (अशांति, बिगाड़) न पैदा करो, तो उन्होंने यही कहा कि 'हम तो सुधार करने वाले हैं।' सावधान, वास्तव में यही लोग फ़साद पैदा करते हैं, किन्तु ये जान नहीं पा रहे हैं।''

(क़ुरआन, 2:11,12)

''अल्लाह का दिया हुआ खाओ-पियो और धरती में बिगाड़ न फैलाते फिरो।'' (क़ुरआन, 2:60)

''जब उसे सत्ता मिल जाती है तो धरती में उसकी सारी दौड़-धूप इसलिए होती है कि अशांति फैलाए, खेतों को नष्ट और मानव-संतति को तबाह करे, हालांकि अल्लाह बिगाड़ कदापि नहीं चाहता, और जब उससे कहते हैं कि अल्लाह से डर, तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो बस नरक ही पर्याप्त है और वह बहुत बुरा ठिकाना है।''

(क़ुरआन, 2:205-206)

''वे लोग जो ख़ुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में अपने माल ख़र्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, और अल्लाह को भी ऐसे लोग प्रिय हैं, जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं।''

(क़ुरआन, 3:134)

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक-दूसरे के माल गलत ढंग से न खाओ, लेन-देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से और अपने प्राणों (अर्थात्, आत्महत्या और दूसरों के प्राणों) की हत्या न करो।''

(क़ुरआन, 4:29)

''अपने प्रभु को गिड़गिड़ाकर और चुपके-चुपके पुकारो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता। और धरती में उसके सुधार के पश्चात् बिगाड़ न पैदा करो। भय और आशा के साथ उसे पुकारो। निश्चय ही, अल्लाह की दयालुता सत्कर्मी लोगों के निकट है।'' (क़ुरआन, 7:55,56)

''ऐ नबी, नरमी और क्षमा से काम लो, भले काम का हुक्म दो और अज्ञानी लोगों से न उलझो।'' (क़ुरआन, 7:199)

''और वे क्रोध को रोकने वाले हैं

जहां सत्य-असत्य के बीच संघर्ष हो, वहां सत्य का साथ दिया जाए और उसके लिए जी तोड़ प्रयत्न किया जाए। यह अहिंसा के विरुद्ध नहीं है। इस्लाम ने असत्य के विरुद्ध युद्ध का आदेश तो दिया है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के साथ ताकि आदेश कहीं 'हिंसा' की परिभाषा में न आ जाए। इस संबंध में क़ुरआन की कुछ आयतें इस प्रकार हैं- "जिसने किसी व्यक्ति को किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फसाद (हिंसा और उपद्रव) फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन-दान दिया।" क़ुरआन, 5:32 "और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ें, किन्तु ज़्यादती न करो। निस्सन्देह, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता ।" क़ुरआन, 2:190

और लोगों को क्षमा करने वाले हैं। और अल्लाह को ऐसे लोग प्रिय हैं जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं।''

(क़ुरआन, 3:134)

''निश्चय ही अल्लाह न्याय का और भलाई का एवं नातेदारों को (उनके हक़) देने का आदेश देता है और अश्लीलता, बुराई एवं सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है, ताकि तुम शिक्षा लो।'' (क़ुरआन, 16:90)

क़ुरआन की इन आयतों से इस्लाम की शांति, कुशलता और सदाचरण की शिक्षाएं स्पष्ट तथा परिलक्षित होती हैं और लोगों को सफल जीवन के लिए आमंत्रित करती हैं। वास्तव में शांति, प्रेम, अहिंसा और सदाचरण इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, लेकिन इस्लाम अहिंसा को इस अर्थ में नहीं लेता कि मानव-उपभोग की वे चीज़ें बहिष्कृत कर दी जाएं, जिनमें जीव-तत्व हों। इस आधार पर ही कोई व्यक्ति फल, सब्ज़ियां और दही, अनाज आदि का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान ने इनमें जीव-तत्व सिद्ध कर दिया है और न ही कोई व्यक्ति इस आधर पर एंटी बायोटिक औषधि का सेवन कर सकेगा, क्योंकि इससे जीवाणु मर जाएंगे। इस्लाम की शिक्षाएं मानव-जीवन के लिए पूर्णतः व्यावहारिक हैं।

इस्लाम को यह भी अभीष्ट है कि जहां सत्य-असत्य के बीच संघर्ष हो, वहां सत्य का साथ दिया जाए और उसके लिए जी तोड़ प्रयत्न किया जाए। यह अहिंसा के विरुद्ध नहीं है। इस्लाम ने असत्य के विरुद्ध युद्ध का आदेश तो दिया है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के साथ ताकि आदेश कहीं 'हिंसा' की परिभाषा में न आ जाए। इस संबंध में क़ुरआन की कुछ आयतें इस प्रकार हैं-

''जिसने किसी व्यक्ति को किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फसाद (हिंसा और उपद्रव) फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन-दान दिया।'' (क़ुरआन, 5:32)

''और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ें, किन्तु ज़्यादती न करो। निस्सन्देह, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता ।'' (क़ुरआन, 2:190)

इस्लाम ने युद्ध के दौरान वृद्धजनों, स्त्रियों, बच्चों और उन लोगों पर जो इबादतगाहों में शरण लिए हों (चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों) हाथ उठाने से मना किया है और अकारण फलदार व हरे-भरे वृक्षों को काटने से रोका है।

''किसी जीव की हत्या न करो, जिसे (मारना) अल्लाह ने हराम ठहराया है। यह और बात है कि हक़ (न्याय) का तक़ाज़ा यही (अर्थात् हत्या करना ही) हो।'' (क़ुरआन, 17:33)

''तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के मार्ग में और उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध न करो, जो प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे रब! तू हमें इस बस्ती से निकाल, जिसके लोग अत्याचारी हैं और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई समर्थक नियुक्त कर और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक नियुक्त कर।''

(क़ुरआन, 4:75)

''इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो।'' ■■

(क़ुरआन, 5:8)

सह-अस्तित्व का पोषक



अभिमत



डॉ. प्रदीप कुमार यादव

हिंसा और क्रूरता मानवता विरोधी व्यवहार है। अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है। हिंसा उसके स्वभाव में आयी विकृति या बीमारी है। मनुष्य समाज ने अगर विकास किया है तो अहिंसा के माध्यम से। आपस में हिल-मिलकर सदियों से रहना 'अहिंसा' से ही संभव हो पाया है। सामान्य अर्थ में 'हिंसा नहीं करना' ही अहिंसा है। दुनिया के विभिन्न धर्म ग्रंथों में अहिंसा को धर्म सम्मत माना गया है। इसके अलावा दुनियाभर में बहुत से अहिंसावादी विचारक गुज़रे हैं। थोरो, टॉलस्टॉय, लाओत्से, कन्फ्यूशियस जैसे अहिंसावादी विचारक वैश्विक स्तर पर रहे हैं। आधुनिक भारत में गांधी जी का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है।

अहिंसा सह-अस्तित्व का आधार है। अहिंसा के सही स्वरूप को समझा जाना आवश्यक है। किसी की हत्या न करना और किसी को मन, वचन एवं कर्मों द्वारा दुख न पहुंचाना आदि अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष है। भोगवादी प्रवृत्ति से हिंसा को बढ़वा मिलता है। इसलिए महापुरुषों और ईश्वर के पैगम्बरों ने हमें शिक्षा दी है कि-'त्याग धर्म है, भोग नहीं। संयम धर्म है, असंयम नहीं। ईश्वर का आदेश सर्वोपरि है। इन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से हम मानव जीवन में अहिंसा की ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं।

आज देश ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में हिंसा तेज़ी से फैल गई है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कही क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं आर्थिक, कहीं राजनीतिक हिंसा हो रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मध्यपूर्व के देशों में हर दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। चरमपंथी संगठन धर्म के नाम पर क़त्लेआम मचा रहे हैं। आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है। समाजिकता और मानवता पर कट्टरपंथ हावी हो रहा है। प्रेम और सौहार्द बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है।

आज के हिंसक वातावरण ने विश्व समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बार फिर गांधी जैसे वैश्विक स्तर के

नेताओं की आवश्यकता महसूस कराई है। आज देश और दुनिया को गांधी जी के तीन अमोघ अस्त्र-सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की आवश्यकता है। हमारे देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने का यह एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। सीमांत गांधी नाम से मशहूर ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने गांधी की अहिंसा को व्यवहार में लाकर भारत के उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में उग्र पठानों को अहिंसा के भाव से भर दिया था। बिनोवा भावे ने 1940 में एकल सत्याग्राही के रूप में आज़ादी का ध्वज उठाने और धनाढ़्यों के हृदयों को करुणा ओर मोड़ने में अहिंसा का उपयोग किया था। अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर भावे ने भूदान आंदोलन चलाकर लाखों भूपतियों से भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटने में सफल रहे।

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, मैं एक प्रभावशाली अहिंसक दृष्टिकोण में विश्वास करता हूं जिसमें मनुष्य हिंसा और धृणा के बिना सभी उपायों जैसे-धरने, प्रदर्शन, क़ानूनी प्रतिरोध, बहिष्कार, मत संग्रह आदि से अन्यायी तंत्र के विरुद्ध लड़ सकता है। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला ने भी अहिंसात्मक तरीक़ों की सार्थकता और अमोघता को दर्शाया है।

गांधी ने आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सत्य और अहिंसा पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा,



सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार का मामला नहीं, बल्कि समूहों, सामाजिक और राष्ट्रों के भी व्यवहार का अंग बनाना होगा। मेरा मानना है अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हर किसी को जीवन के हर क्षेत्र में इसको व्यवहार में लाना चाहिए। अगर इसको यदि हर क्षेत्र में उपयोग में नहीं लाया गया तो इसका कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं होगा। उनका विश्वास था कि भविष्य का विश्व एक अहिंसा पर आधारित समाज होगा। उन्होंने कहा, अहिंसा धर्म केवल ऋषियों और मुनियों के लिए ही नहीं है, यह जन सामान्य के लिए भी है।

अहिंसा मानव जीवन की विधि संहिता है और हिंसा असभ्य जीवन का चलन है, हिंसक जीवन में आत्मा मर जाती है, उसमें विवेक नहीं रहता। लेकिन प्रेम स्वयं को कर्म में अभिव्यक्त करता है और अहिंसा का प्रतिरूप बन जाता है।

हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों और अन्य सभी पश्चिमी और पूर्वी विचारकों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहिंसा पर बल दिया है। जीवन 'अहिंसा' से ही चलता है। अगर अहिंसा न हो तो मनुष्य हिंसक पशुओं की तरह लड़कर ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अहिंसक दृष्टिकोण को अपना ले तो दुनिया में अपराध, नफ़रत, स्वार्थ, हिंसा, चोरी जैसी घटनाएं पूर्णतः खत्म हो जाएगी। भोगवादी वृत्ति से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। यदि व्यक्ति को शांति से जीना है तो उसे त्याग और संयम की महिमा को स्वीकार करना होगा, संयम की चेतना का विकास करना होगा। ■■

आज देश ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में हिंसा तेज़ी से फैल गई है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं आर्थिक, कहीं राजनीतिक हिंसा हो रही हैं।

समाधान



सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

‘धार्मिक सहिष्णुता’

आदर्श व्यवस्था की आवश्यकता

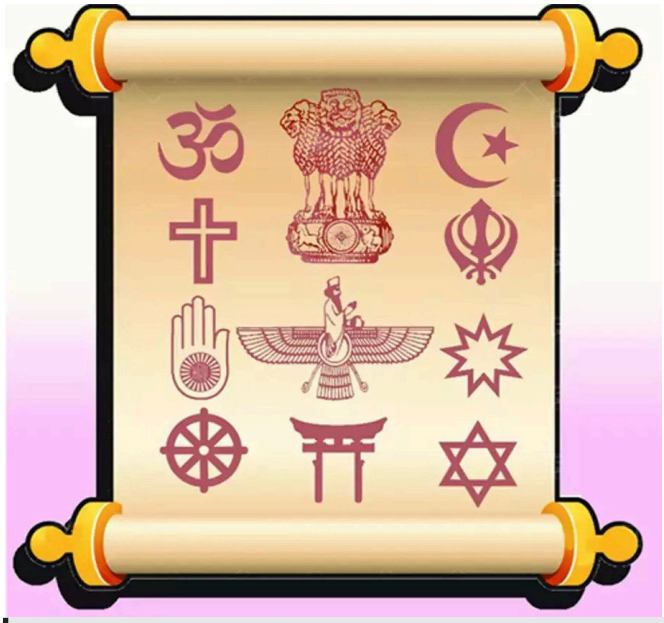

यह बात अब मानी हुई है कि सांस्कृतिक इकाइयों की बेचैनी पूरे देश के लिए नुक़सानदेह होती है। अगर देश की व्यवस्था ऐसी हो जिसके नतीजे में देश के मामलों पर बहुसंख्यक समुदाय का नियंत्रण हो तो अन्य सांस्कृतिक इकाइयों में देश से अपनाइयत का एहसास पैदा नहीं होता। हर सांस्कृतिक इकाई को अपने मामलों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो और देश के सामूहिक मामलों में उन्हें ज़रूरी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तो इसी से देश की सभी जनता में वास्तविक एकता का रास्ता बन सकता है।

हमारे देश में व्यक्तियों के अधिकारों को तो भरपूर तौर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक इकाइयों के सामूहिक अधिकार को बहुत कम महत्व दिया गया है। यह उस वैश्विक सोच का प्रभाव था, जो संविधान निर्माण के समय पाई जाती थी। गांधी और अंबेडकर जैसे नेता देश की ज़मीनी हक़ीक़तों को समझते थे और वे सांस्कृतिक समुदायों की हैसियत को स्वीकार कर उनको ज़रूरी अधिकार देना चाहते थे, लेकिन पटेल और नेहरू जैसे नेता इसे उचित नहीं समझते थे। नेहरू पर ऐंगलो सेक्सन मॉडल के साथ स्टालिन का भी बड़ा प्रभाव था जो रूस में सांस्कृतिक इकाइयों को मिलाकर सबको ‘एक राष्ट्र बनाने की कोशिशों में व्यस्त था। अतः अंबेडकर के कुछ बड़े अहम और बुनियादी सुझाव नामंज़ूर हो गए। यहां तक कि वे बातें जो ड्राफ्ट कमेटी से मंज़ूर होकर संविधान के ड्राफ्ट में शामिल हो गई थीं वे भी संविधान निर्माण परिषद में नामंज़ूर हो गईं।

उन लोगों ने भारत को यूरोपीय राष्ट्रों की तरह एक सजातीय राष्ट्र (homogeneous nation) समझ कर यहां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाई। यह अव्यावहारिक कोशिश और दृष्टिकोण, इस देश की बहुत-सी समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार है। मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति की जड़ भी इसी ग़लती में है। इस समय एक बड़ी ज़रूरत यह है कि देशवासियों को यह बात समझ में आए कि हमारा देश कई सभ्यताओं का गढ़ है। इसे एक सांस्कृतिक इकाई मानकर मामला करने से विवाद और कठिनाइयां जन्म लेती हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, इस समय देश



के संविधान अनुच्छेद 26 (धार्मिक समुदायों को धार्मिक और ख़ैराती इदारे क़ायम करने और चलाने का अधिकार, अनुच्छेद 29(1), सांस्कृतिक और भाषाई समुदायों को अपनी सभ्यता और भाषा की सुरक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को शिक्षाण संस्थाएं क़ायम करने और चलाने का अधिकार) ये तीन धाराएं हैं, जो इनको सामूहिक तौर पर कई सीमित अधिकार देती हैं। इनके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 पर्सनल लॉ का हक़ देता है। बाक़ी जो भी अधिकार हैं वे व्यक्ति को प्राप्त हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक या नस्ली समुदायों को नहीं।

भाषाई समुदाय चूंकि विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित थे, इसलिए उनका मुद्दा आसानी से भाषाई राज्य बनाकर हल कर लिया गया और उन्हें एक तरह से भौगोलिक आधारों पर स्वायत्तता (territorial autonomy) दे दी गई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दे दिया गया। यह समस्या का बहुत सीमित हल था।

यह बात अब मानी हुई है कि सांस्कृतिक इकाइयों की बेचैनी पूरे देश के लिए नुक़सानदेह होती है। अगर देश की व्यवस्था ऐसी हो जिसके नतीजे में देश के मामलों पर बहुसंख्यक समुदाय का नियंत्रण हो तो अन्य सांस्कृतिक इकाइयों में देश से अपनाइयत का एहसास पैदा नहीं होता। हर सांस्कृतिक इकाई को अपने मामलों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो और देश के सामूहिक मामलों में उन्हें ज़रूरी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तो इसी से देश की सभी जनता में वास्तविक एकता का रास्ता बन सकता है। इसी से अलगाववाद, टकराव और हितों के संघर्ष को रोकने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक इकाइयों के सामूहिक अस्तित्व को स्वीकार करने से देश विभाजित नहीं होता, बल्कि मज़बूत होता है।

कुछ समय पहले हमने पहचान की राजनीति पर चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि इस्लाम के मानने वालों को मात्र पहचान की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहचानों से जुड़े मुद्दों का इस्लामी शिक्षा की रोशनी में हल ज़रूर पेश करना चाहिए। यह केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, इस देश के सैकड़ों सामाजिक और सांस्कृतिक समुदायों का मुद्दा है। तमाम सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का मुद्दा है। बहुत-से उन भाषाई अल्पसंख्यकों का भी मुद्दा है जो किसी राज्य में केंद्रित नहीं हैं या अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में आबाद हैं। उनके अलावा अनुसूचित जातियों, दलित, ओबीसी, क़बाइली और आदिवासी और ख़ुद हिंदुओं के बहुत से वर्ग (जैसे, महाराष्ट्र के मराठे, कर्नाटक के लिंगायत आदि, जो अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों के संबंध में संवेदनशील हैं, यह उन सबका मुद्दा है।

इस्लाम ने जहां व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार किया है, वहीं अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों को भी स्वीकार किया है। इस का अमली नमूना ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पेश किया। जब आप हिज़रत (प्रवास) करके मदीना गए तो उस समय मदीना की आबादी लगभग बारह हज़ार थी। उनमें आधी आबादी यहूदियों की थी जो दस क़बीलों में बंटे हुए थे और आधी अरबों की, जो औस व ख़ज़रज के कई क़बीलों में बंटे हुए थे। जो क़बाइली व्यवस्था प्रचलित थी उसमें ये सभी क़बीले आज़ाद थे। हर क़बीले के पास एक बड़ा सायबान होता था जो 'सक़ीफ़ा' कहलाता था और यहां वे बैठकर अपने मामले तय कर लिया करते थे।

हिजरत के बाद, कुछ रायों के मुताबिक़ पहले साल और कुछ के मुताबिक़ दो साल बाद, यानी ग़ज़वा बदर के तुरंत बाद आप (सल्ल०) ने

सभी क़बीलों से बात-चीत और विचार-विमर्श के बाद, एक लिखित समझौते को अंतिम रूप दिया। जिसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। इस मीसाक़ के नतीजे में मदीने के सभी निवासी एक सियासी एकता और एक साझा व्यवस्था का हिस्सा बने, जिसका नेतृत्व अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के हाथों में था। इस समझौते ने सभी मामले में आपकी अथॉरिटी को आख़िरी अथॉरिटी के तौर पर स्वीकार किया था। इस समझौते का पूरा लेख कई इस्लामी साहित्य में मौजूद है। आधुनिक पश्चिमी स्कॉलरों ने भी इस पर काफ़ी काम किया है। इस की 47 धाराओं में से पहली 23 धाराओं का संबंध मुसलमानों से और बाक़ी 24 का संबंध यहूदियों से है। इसमें यहूदियों के दस क़बीलों के नाम का उल्लेख है और कहा गया है कि उन्हें पूरी मज़हबी आज़ादी होगी।

मज़हबी आज़ादी का मतलब सिर्फ़ व्यक्तिगत मज़हबी आज़ादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि डॉ. हमीदुल्लाह मरहूम के शब्दों में धार्मिक, अदालती और क़ानूनी आज़ादी की गारंटी भी प्रदान की गई थी और ग़ैर मुस्लिमों को न केवल निजी मामलों में आज़ादी हासिल थी, बल्कि इन्साफ़ व क़ानून और क़ानून बनाने के मामलों में भी वे आज़ाद थे। यहूदियों के झगड़े, उनके 'सक़ीफ़ों' में यहूदी हलाखी अदालतों (Jewish Halakhic Courts) के ज़रिये हल होते थे। उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आप (सल्ल०) की अदालत में अपील की जा सकती थी, लेकिन आप (सल्ल०) भी उनके मामलों का फ़ैसला उन के क़ानून के मुताबिक़ करते थे। क़बीले के लिए अपना कोषागार बनाने और अपने मामलों पर ख़र्च करने का अधिकार उन्हें हासिल था। क़ानून व अदालत, पर्सनल लॉ, क्रीमिनल लॉ, वेलफेयर, फाइनेंस, इन सब मामलों में यहूदियों को स्वायत्तता हासिल थी। रक्षा, विदेश और कुछ दूसरे अहम मामले केंद्र के पास थे। इस प्रकार यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी हैसियत अलग-अलग अधिकार प्राप्त धार्मिक समुदायों का संघ (Federation of Empowered Religious Communities) की थी।

इसी प्रकार के अधिकार बाद में नजरान के ईसाइयों और दूसरे ग़ैर-मुस्लिमों को भी दिए गए। अल्लामा शिब्ली नोमानी ने हज़रत उमर (रज़ि०) के ऐसे कुछ समझौतों की टेक्स्ट नकल की हैं जो उन्होंने ग़ैर-मुस्लिम जनता के साथ किए थे। जैसे हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि०) ने माह दीनार वालों को जो लिखित गारंटी दी थी उसके शब्द ये हैं-''उनका मज़हब बदला नहीं जाएगा और इनके उन मामलों में जिनका संबंध उनकी शरीयतों से है, कोई दख़लअंदाज़ी नहीं की जाएगी।'' जरजान की जीत के समय जो समझौता किया गया था, उस में ये शब्द भी थे-

''उनके लिए अमान है, उनकी जानों के लिए, उनके मालों के लिए और उनकी शरीयतों के लिए और उसमें से किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।''

मध्य युग में यही व्यवस्था बड़े पैमाने पर उस्मानी तुर्कों ने अपने विस्तृत साम्राज्य में स्थापित किया। उन्होंने तीन आज़ाद समुदायों को स्वीकार किया। रोमन आर्थोडाक्स ईसाई (रोमन), आर्मेनियन ईसाई (आर्मीनियन) और यहूदी, मुसलमानों के अलावा तीन अलग-अलग समुदाय थे। इनमें से हर समुदाय की अपनी आज़ाद शैक्षिक, धार्मिक और न्यायिक व्यवस्था थी। हर समुदाय का एक प्रमुख होता था जिसे मिल्लत बासी (Milletbasi) यानी ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि कहा जाता था। उसकी निगरानी में उनके मज़हबी क़ानून और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार, उनके सारे मामले चलाने की स्वतंत्र व्यवस्था मौजूद थी। मिल्लत के मुखिया को उस मिल्लत के लोगों की राय से चुना जाता था। उसे ख़लीफ़ा की ओर से अपनी मिल्लत के सिलसिले में विशेष वित्तीय, न्यायिक और धार्मिक अधिकार हासिल होते थे। उनमें से कुछ मिल्लतों में कई सहायक समूह (जैसेः रूमी मिल्लत में यूनानी, अल्बानी, अरब, बल्गारियाई, जार्जियाई और सर्ब नस्ली समूह मौजूद थे। इन समूहों को भी कई दायरों में स्वायत्तता हासिल थी। हर मिल्लत की अपनी अदालतें, अपनी शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों की संस्थाएं, यहां तक कि दंड व्यवस्था भी मौजूद थी।

इस प्रकार इस व्यवस्था में, अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने सामूहिक मामलों को अपनी सभ्यता के मुताबिक़ चलाने का अधिकार और उसकी सामूहिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। आज राजनीतिशास्त्र की गंभीर बहसों में, बहुसांस्कृतिक समाजों की ज़रूरतों के बारे में यह व्यवस्था चर्चा में आ रही है। इसे 'धार्मिक सहिष्णुता' की सबसे बेहतर व्यवस्था क़रार दिया गया है।

इस समय दुनिया में अल्पसंख्यकों के सामूहिक अधिकारों की जो बहसें हो रही हैं, उनमें इस व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोकतांत्रिक देश उस खुले दिल का प्रदर्शन कर पा रहे हैं जो मध्य युग के उन साम्राज्यों ने किया था। ■■

कविता

मानवता का उत्थान

• मधुरेश त्रिपाठी

हम मानव हैं, मानवता का क्यों करें सम्मान?
मानवता के बिना न कोई मानव हुआ महान।।

सत्य, न्याय, सद्भाव सनातन
मानवता का मर्म,
है कर्त्तव्य कर्म करना ही
मानव-कुल का धर्म,

मानवता के बिना व्यर्थ है सारा धर्म-विधान।
मानवता के बिना न कोई मानव हुआ महान।।
सहज सरल निश्छल जीवन हो
सेवा पर-उपकार,
कभी किसी के धन-जीवन पर
करें नहीं अधिकार,

मंत्र यही है मानवता का मंगल-मोद प्रधान।
मानवता के बिना न कोई मानव हुआ महान।।
रहे पवित्र चरित्र परस्पर
सबके प्रति अनुकूल,
मानवता-बन में विलसेंगे
तभी मधुर फल-फूल,
मानवता की उन्नति ही है मानव का उत्थान।
मानवता के बिना न कोई मानव हुआ महान।।

समसामयिक



कमला सुरैया



हिजाब क्या, क्यों और कैसे ?

“हिजाब या परदे का विरोध करने वालों का तर्क है कि मुसलमान महिलाओं को हिजाब धारण करने के लिए मजबूर करते हैं, यह उन पर अत्याचार है और उनकी उन्नति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा। जबकि वास्तविकता यह है कि हिजाब यदि महिलाओं पर अत्याचार होता, तो इसका आदेश दूसरे धर्मों में कदापि नहीं होता। इस्लाम की तरह ईसाई और यहूदी धर्मों में भी हिजाब को सुचरित्रता, लज्जा और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया गया है। इस्लाम के आगमन से पूर्व का भारत हिजाब से अनभिज्ञ नहीं था। पचास वर्ष पूर्व के भारत पर ही यदि निगाह डाली जाए तो महिलाओं में घूंघट का प्रचलन आम बात थी, बल्कि अधिकतर गांवों में तो आज भी घूंघट (हिजाब का एक रूप) की प्रथा देखी जा सकती है। सिख महिलाओं में आज भी सर को ढककर रखने का प्रचलन पाया जाता है। साड़ी के पल्लू से सर और चेहरा ढकने का प्रयत्न करती महिलाएं आज भी हर जगह मिल जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिजाब सिर्फ़ मुसलमानों का मुद्दा है? हिजाब या परदा क्या है? प्रस्तुत है इन्हीं सवालों तथा हिजाब और उसकी अहमियत पर रोशनी डालता भारत की जानी-मानी लेखिका कमला सुरैया का यह लेख।”

इस्लाम में परदे की प्रथा का विरोध इस समय बहुत से देशों में हो रहा है। कई देशों ने तो परदे और स्कार्फ़ पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। आज हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा तो बहुत है और हर कोई इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपना मन-पसन्द जीवन व्यतीत कर रहा है। महिलाओं को अपने मनमाने वस्त्र धारण करने की पूरी आज़ादी है। सच तो यह है कि उन्हें वस्त्र धारण न करने की भी पूरी आज़ादी है। वो अगर पारदर्शी वस्त्र धारण करके अपने अंगों की नुमाइश (अंग-प्रदर्शन) करें तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। उल्टे इसका विरोध करने वालों की ज़बान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धौंस

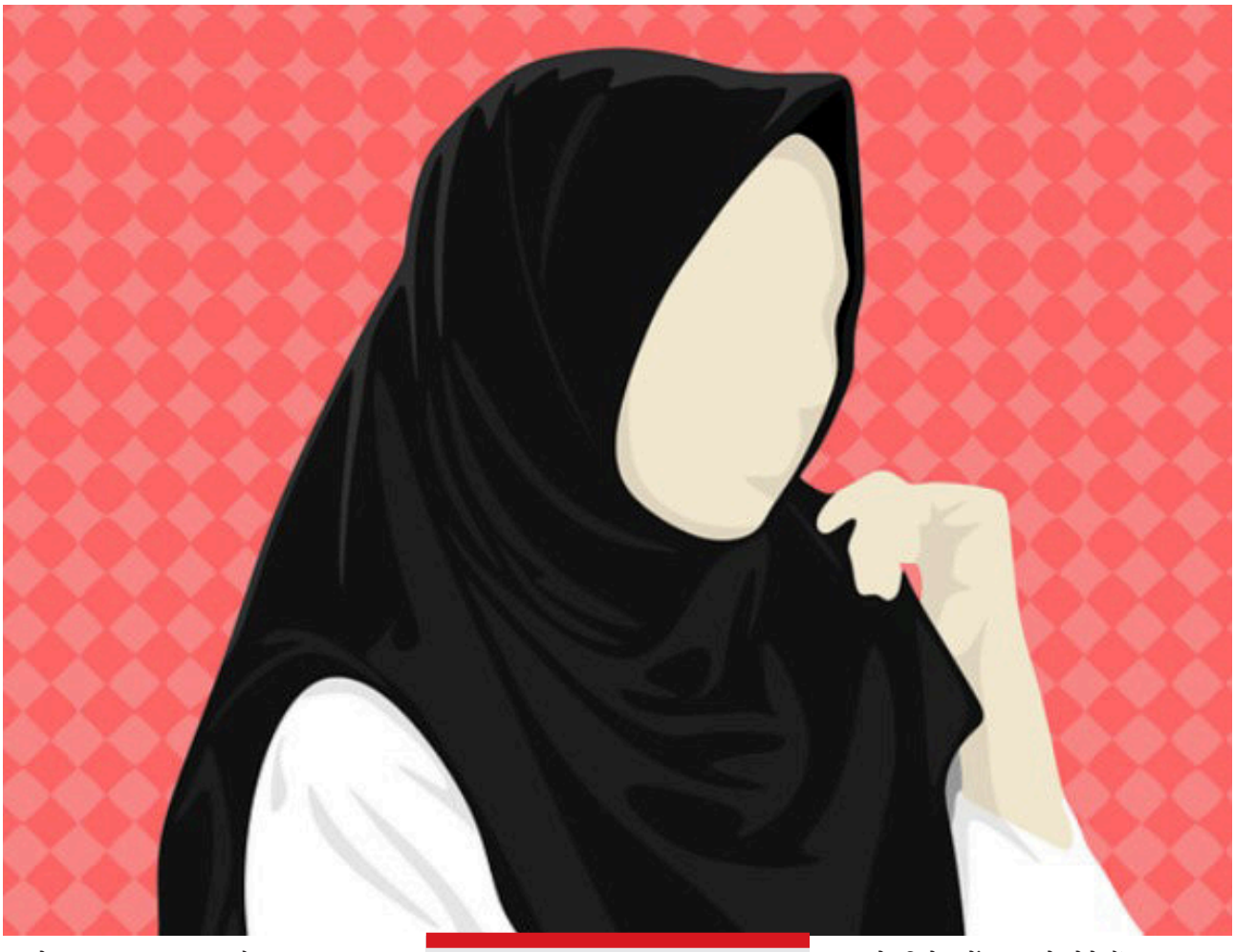

देकर बंद कर दी जाती है। एक स्त्री अगर पुरुष का वस्त्र धारण कर ले तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, परन्तु वही स्त्री अगर पर्दा या स्कार्फ़ लगा ले तो उस पर आक्षेपों की बौछार होने लगती है।

अख़बारों में, पत्रिकाओं में, फ़िल्मों में, टीवी और इंटरनेट पर इस समय पूरी तरह से यौन अराजकता का बोलबाला है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। हर तरफ़ युवक-युवतियों की कामुकता की भावना को प्रज्वलित करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। हर तरफ़ अभद्र और अश्लील विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है, परन्तु इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। परन्तु अगर एक मुस्लिम महिला अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए और अपने-आपको पुरुषों को भूखी निगाहों से बचाने के लिए सभ्य और शालीन वस्त्र धारण कर लेती है तो लोग

इस्लाम ने, जो कि ईश्वर द्वारा रचित एक संपूर्ण जीवनशैली का नाम है, भयावह स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही इसे रोकने के कई उपाय किए हैं और इन्हें आस्था से जोड़ दिया है। यही कारण है कि मुस्लिम समाज में यौन अराजकता और बलात्कार का अनुपात बहुत कम है। परदा इन्हीं उपायों में से एक है।

उसके विरोध में उठ खड़े होते हैं।

समाज का चाहे आम नागरिक हो या बुद्धिजीवी वर्ग, पता नहीं किन अज्ञात कारणों से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हर तरफ़ तेज़ी से फैलती हुई यौन अराजकता और बलात्कार का संबंध भड़कीले वस्त्रों से भी है और इनका संबंध हर तरफ़ फैले हुए उत्तेजित करने वाले विज्ञापनों से भी है और उन फ़िल्मों से भी है जो अश्लीलता और कामुकता को भड़काने में लगी हुई हैं।

यह बात समझना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि मात्र पुलिस और क़ानून के भय से इस स्थिति पर क़ाबू नहीं पाया जा सकता। इस्लाम ने, जो कि ईश्वर द्वारा रचित एक संपूर्ण जीवनशैली का नाम है, भयावह स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही इसे रोकने के कई उपाय किए हैं और इन्हें आस्था से जोड़ दिया है। यही कारण है कि मुस्लिम समाज में यौन अराजकता और बलात्कार का

अनुपात बहुत कम है। परदा इन्हीं उपायों में से एक है। इन समस्त उपायों का सारांश निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

(1) पुरुष और स्त्री के कार्य क्षेत्र का निर्धारण, पुरुष का कार्य क्षेत्र जीविका का उपार्जन और स्त्री का कार्य क्षेत्र उसका घर।

(2) पुरुष और स्त्री के अनावश्यक और स्वतंत्र मेल-मिलाप पर प्रतिबंध।

(3) महरम और ग़ैर-महरम रिश्तों का निर्धारण। (महरम उसे कहते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता। ग़ैर-महरम वो लोग होते हैं जिनमें आपस में विवाह हो सकता है।)

(4) पुरुषों को आदेश दिया गया कि वह स्त्रियों को न तो अनावश्यक देखें न ही उनसे मिलें।

(5) स्त्रियों को भी आदेश दिया गया कि वह पुरुषों को न तो अनावश्यक देखें न उनसे मिलें। अगर मिलना आवश्यक हो तो परदे में रहते हुए मिलें।

(6) स्त्रियों को आदेश दिया गया कि जब वह घर से बाहर निकलें तो परदा धारण करके निकलें।

(7) पुरुष और स्त्री दोनों को आदेश दिया गया कि वह ग़ैर-महरम लोगों से एकांत में कदापि न मिलें।

(8) महरम संबंधियों के सामने शरीर ढकने या खुले रखने की सीमाओं का निर्धारण किया गया।

(9) स्त्री अपना सौंदर्य किन-किन लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकती है इसकी सीमा का निर्धारण किया गया।

उपर्युक्त उपायों पर अगर थोड़ा-सा चिंतन-मनन कर लिया जाए तो यह बात सरलता से समझ में आ जाएगी कि इन उपायों को व्यवहार में लाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात् परदा स्त्री की दासता का नहीं, उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का बोधक है। इस प्रकार के विचार समाज के कई बुद्धिजीवी लोगों के भी हैं और वह समय-समय पर इसे व्यक्त भी करते रहते हैं-

• आंध्र प्रदेश के डीजीपी श्री दिनेश रेड्डी ने अभी कुछ समय पहले ये विचार व्यक्त किया कि तेज़ी से बढ़ते हुए बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाओं के उत्तेजित और भड़काऊ वस्त्र एक बड़ा कारण है।

• वर्ष 2005 में मुंबई विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री विजय खोले ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि, ''लड़कियों का कम और भड़काऊ कपड़े पहनना बलात्कार का मुख्य कारण है।''

• दिसम्बर 2011 में मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने घोषणा की, कि जींस एक उत्तेजक वस्त्र है और लड़कियों को इसे नहीं पहनना चाहिए।

समाज में जो लोग पर्दे का विरोध करते हैं उन्हें चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(1) वह लोग जिनके समक्ष इस्लाम की जीवन-व्यवस्था और उसकी आस्था अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है।

(2) वह लोग जिनकी मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई है कि स्त्री के शरीर को निहारे बग़ैर उनकी प्यास ही नहीं बुझती।

(3) वे महिलाएं जो यह समझती हैं कि उनका सौंदर्य नुमाइश के लिए है और उन्हें इसके प्रदर्शन का पूर्ण अधिकार है।

(4) वह लोग जो परदे का विरोध मात्र इसलिए करते हैं कि, इस्लाम के हर क़ानून का विरोध करना है, चाहे वह क़ानून समाज के लिए कितना ही लाभदायक क्यों न हो।

इन सभी लोगों से निवेदन है कि विरोध करने से पूर्व वह इस्लाम की संपूर्ण जीवन-व्यवस्था, विशेष रूप से पर्दे के क़ानून का एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन अवश्य कर लें।

परदे के विरोध का आधार कितना कमज़ोर है इसकी सत्यता को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज पूरे संसार में इस्लाम को स्वीकार करने वाले लोगों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। वहीं महिलाएं जिन्हें पर्दे से भयभीत होकर इस्लाम से दूर भागना चाहिए था, वही आज पर्दा धारण करके अपने-आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं।

इनमें से कुछ महिलाओं की अनुभूति प्रस्तुत है-

(1) ''जिन सड़कों पर मैं शॉर्ट और बिकनी पहनकर घूमा करती थी, उन्हीं रास्तों पर जब मैं पहली बार इस्लामी वस्त्र धारण करके निकली तो दुकाने भी वही थीं, लोग भी वही थे, पर मैं यह

परदे के विरोध का आधार कितना कमज़ोर है इसकी सत्यता को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज पूरे संसार में इस्लाम को स्वीकार करने वाले लोगों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। वहीं महिलाएं जिन्हें पर्दे से भयभीत होकर इस्लाम से दूर भागना चाहिए था, वही आज पर्दा धारण करके अपने-आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं।





अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई हूं और सारी ज़ंजीरें टूट गई हैं। हिजाब (परदा) धारण करने के बाद मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरे कंधों से एक भार उतर गया हो। अब मैं अपना सारा समय शॉपिंग में या मेकअप करने में या अपने बालों को संवारने में नहीं लगाती। अब मैं अपने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करती हूं।''

-सारा बोक्कर, मियामी, अमेरिका

(2) ''ईश्वर की कृपा से अब मैं मुस्लिम हूं। मैं हिजाब (परदा) को एक मुकुट के रूप में धारण करती हूं। इससे जहां एक ओर मुझे शक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है।'' -मरीटा रेहाना, ऑस्ट्रेलिया

(3) ''ये बिल्कुल ग़लत धारणा है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति के दबाव के कारण परदा धारण करती हैं। सत्य तो यह है कि इससे उनकी मर्यादा की रक्षा होती है और वह दूसरों के कंट्रोल से अपने-आपको बचा लेती है। दया योग्य हैं वह ग़ैर-मुस्लिम महिलाएं जो अपने शरीर की नुमाइश करती फिरती हैं।''

-नकाता खौला, जापान

(4) ''जब मैंने पहली बार हिजाब (परदा) धारण किया तो मुझे प्रसन्नता के साथ संतोष का भी अनुभव हुआ। अब मैं अपने-आपको सुरक्षित महसूस करती हूं और लोग पहले से अधिक मेरा आदर करते हैं।

-सिस्टर नूर, भारत

(5) ''इस्लाम की परदा-व्यवस्था, जो नारीय गरिमा को बढ़ाती और उसके शील व नारित्व की सुरक्षा करती है, से अति प्रभावित होकर मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया है। नक़ाब अब मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है...।'' ■■



निष्पक्ष रचनात्मकता का अभाव

ज्वलंत

विभूति नारायण राय

दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत फिल्में नरसंहार और उससे उपजे विस्थापन को लेकर बनी हैं। विस्थापन है भी ऐसा विषय, जो कहानी, कविता, नाटक, फिल्म... गरज़ यह कि रचनात्मकता की हर विधा के सर्जक के समक्ष चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को स्वीकार करने में अपने कुछ जोखिम भी हैं। बहुत कम रचनाकार, जिनमें फिल्म निर्माता भी शामिल हैं, इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निसंगता का अभाव है, जिसकी अपेक्षा इस संवेदनशील विषय को रहती है। द कश्मीर फाइल्स, जो इन दिनों विवादों

व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए 1993-94 के दौरान कश्मीर घाटी में नियुक्ति एक बड़ा सीखने वाला अनुभव था। जनवरी 1993 में जब मैं वहां पहुंचा, तब आतंकवाद अपने चरम पर था। दिसम्बर 1989 में शुरू हुए पृथकतावादी आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारतीय राज्य का इतने बड़े शहरी आतंकवाद से पहला साक्षात्कार था और कई बार लगता कि नीतिकारों की समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसका मुक़ाबला कैसे करें? कश्मीरी पंडितों के पलायन का बड़ा भाग संपन्न हो चुका था, पर अभी भी पुराने शहर के कुछ हिस्सों में इक्का-दुक्का पंडित परिवार जाने और रुकने के ऊहापोह में झूल रहे थे।

मेरी एक परिचिता अपने पिता के साथ इसी तरह की एक घनी आबादी और पतली गलियों वाले इलाक़े में रहती थीं। हिंदी की इस महत्वपूर्ण कथा



लेखिका के पिता वामपंथी राजनीति से जुड़े थे और उनका जीवट देखने लायक था। इस झंझावात में भी, जब उनके कई क़रीबी मारे जा चुके थे और उन्हें भी तरह-तरह की धमकियां मिल रही थीं, उन्होंने हब्बा कदल का अपना घर न छोड़ने की ज़िद-सी ठान रखी थी। उन्होंने कश्मीर की साझा संस्कृति, चुनाव में राज्य द्वारा की गई धांधलियों और कश्मीरी राजनीति में घुन की तरह लगे भ्रष्टाचार पर विस्तार से मुझे समझाया था। मुझसे मिलने आने में जोखिम था, इसलिए वे छिपकर मेरे पास आते, बेटी बुर्के में होती और दोनों एक लंबा रास्ता लेकर मुझ तक पहुंचते।

पिछले दिनों जब द कश्मीर फाइल्स देख रहा था, तब मुझे उस बहादुर और सचेत बुजुर्ग कश्मीरी पंडित द्वारा साझा की गई जानकारियां याद आईं। ऊपरी तौर से तो सब कुछ वैसा ही लगा, जैसा उन्होंने बताया था, लेकिन दिमाग पर थोड़ा ज़ोर देते ही लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। मसलन, वे सब सूचनाएं गायब थीं, जिनमें मोहल्ले के पड़ोसी मुसलमानों ने पंडित को झूठ बोलकर भी बचाया था। वे अनगिनत कथाएं भी इस फिल्म की पटकथा का हिस्सा नहीं बन पाईं, जिनमें घर छोड़कर भाग चुके पंडित परिवार का कोई सदस्य अगर कभी अपनी संपत्ति की खोज-ख़बर लेने आता, तो उसका मुसलमान पड़ोसी उसे होटल से ज़बरदस्ती लाकर अपने घर ठहराता।

उन्होंने एक दर्जन से अधिक किस्से सुनाए थे, जिनमें पंडितों के सेब के बागान की देखभाल करने वाले मुसलमान काश्तकार हर साल फ़सल बेचकर जम्मू के शरणार्थी कैंपों में रहने वाले उनके मालिकों को पैसा देने जाते और अपनी आंखें पोंछते हुए लौटते। पर ये प्रसंग तो फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। शायद जिस एजेंडे के तहत यह फिल्म बन रही थी, उसमें ये सकारात्मक प्रसंग कहीं फिट नहीं बैठते थे। इस फिल्म में पीढ़ियों से पड़ोस में रह रहे और सूबा सरहद से आए मुसलमान के बीच के फ़र्क़ को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें आतंकवाद के फौरी कारण उन आम चुनावों का तो ज़िक्र ही ग़ायब है, जो जनता को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित करते थे।

अब यह छिपा तथ्य नहीं है कि 1987 के आम चुनाव की धांधलियों ने 1989 के विस्फोट में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी। इस रहस्य पर किसी का ध्यान नहीं गया कि मोरारजी देसाई घाटी के सबसे लोकप्रिय भारतीय प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने वहां के सबसे निष्पक्ष चुनाव कराए थे। फिल्म ने पंडितों के निष्कासन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे वीपी सिंह, जगमोहन, मुफ़्ती मुहम्मद सईद या फारूक अब्दुल्ला के चरित्र का तटस्थ अवलोकन नहीं किया। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि सिर्फ़ इन पात्रों के चित्रण में नहीं, फिल्म की पूरी पटकथा में ही इस तटस्थ रचनात्मकता का अभाव है।

फिल्म के निर्माता भूल गए कि युद्ध या घृणा पर बड़ी रचना वही हो सकती है, जो अंततः इनके विरुद्ध अरुचि पैदा कर सके। यहूदियों के नरसंहार या होलोकास्ट पर बहुत-सी फिल्में बनी हैं, पर सम्मान से ज़िक्र उन्हीं का होता है, जो नस्लवादी संहार के विरुद्ध दर्शकों को खड़ा करती हैं। लोगों को द पियानिस्ट या लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जैसी फिल्में देखनी चाहिए। इन फिल्मों को देखकर कभी भी उस पूरी जाति के प्रति आक्रोश नहीं पैदा होता, जिसके कुछ सदस्य होलोकास्ट से जुड़े थे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल की तो आलोचना भी इसलिए की गई कि उसने यातना और पीड़ा के उन बोझिल क्षणों में कुछ हल्के-फुल्के प्रसंगों के लिए भी गुंजाइश निकाल ली थी। इन बड़ी कृतियों के बरक्स द कश्मीर फाइल्स में सिर्फ घृणा है, आक्रोश है और इनसे उपजने वाली प्रतिशोध की भावना है। मानो एक फिल्म ने देश को विभक्त कर दिया है। कुछ लोगों ने मांग की है कि देश में मुस्लिम संहार की घटनाओं पर भी फिल्में बनें। वे भूल जाते हैं कि बदले की भावना से निर्मित कोई भी कृति साधारण ही होगी। ■■

(लेखक रिटायर्ड आईपीएस हैं। फेसबुक वाल से साभार)

इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफ़ोबिया (Islamophobia) का मुक़ाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Corporation-OIC) की ओर से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प को 193 सदस्यीय से अपनाया गया, जो कि मुख्य प्रायोजित है।



यह प्रस्ताव सभी देशों, और क्षेत्रीय संगठनों, नागरिक आस्था-आधारित संगठनों से बारे में सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग विभिन्न उच्च-दृश्यता कार्यक्रमों के आयोजन और समर्थन का धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर ज़ोर देता है तथा वर्ष 1981 के एक संकल्प को दोहराता है जिसमें ''धर्म या आस्था के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता एवं भेदभाव को समाप्त करने'' का आह्वान किया गया था।

पारित किया गया है। इस प्रस्ताव/विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति रूप से 55 मुस्लिम देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय समाज, निजी क्षेत्र एवं ''इस्लामोफ़ोबिया को रोकने के से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से (High-Visibility Events) आह्वान करता है। यह प्रस्ताव

प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में महान उपलब्धि



दुनिया में प्लास्टिक और उससे होने वाले नुक़सानों को लेकर हमेशा से चिंता रही है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चिंता ही है दुनिया में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर पिछले कई सालों से कोशिशें भी चल रही हैं। कहते हैं कोशिशों से ही कामयाबी मिलती है। इन्हीं कोशिशों के बीच जम्मू कश्मीर की नासिरा अख़्तर ने प्लास्टिक की समस्या का समाधान निकाल लिया है। नासिरा ने वो आविष्कार कर दिया जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। महज़ दसवीं पास नासिरा ने न केवल प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का तरीक़ा ढूंढ़ निकाला, बल्कि इससे अपने जीवन को भी संवार लिया है। कश्मीर की कनीपोरा कुलगाम की रहने वाली नासीरा अख़्तर ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है और पर्यावरणविदों को पीछे छोड़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक जैविक और अनोखा तरीक़ा निकाला है। इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स अनसंग इनोवेटर्स ऑफ़ कश्मीर और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में उसकी कहानी प्रकाशित हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एक इंटरव्यू में नासिरा अख़्तर ने बताया कि जैविक तरीक़े से प्लास्टिक को राख बनाने के फार्मूले को उन्होंने एक निजी कंपनी को बेच दिया है और अब फिर से एक नई खोज में जुट गई हैं। वह बताती हैं कि बीस साल पहले से इस आइडिया पर काम कर रही हूं। 20 साल के बाद उन्हें यह सफलता हासिल हुई। प्लास्टिक इस उपाय से राख में तब्दील हो जाती है। उनका कहना है कि तरीक़ा बहुत जैविक है। तरीक़े के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकतीं, क्योंकि आइडिया एक निजी कंपनी को बेच दिया है।

पत्रकारों का बढ़ता उत्पीड़न गंभीर



देश में कई अलग-अलग जगहों पर हो रहे पत्रकारों के पुलिसिया उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कई प्रेस संगठनों ने आवाज़ उठाई है। एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न और उन्हें निर्वस्त्र किए जाने के संबंध में बयान जारी करते हुए मानवाधिकार आयोग से इस घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई है। प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया ने अपने बयान में सीधी प्रकरण के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को सीबीआई द्वारा हवाई यात्रा से रोके जाने को शामिल किया गया है। वहीं एडिटर्स गिल्ड के बयान में ओडिशा के बालासोर में पुलिस द्वारा पिटाई के बाद नीलगिरी जिसके एक अस्पताल में भर्ती स्थानीय पत्रकार लोकनाथ दलई को बेड़ियों में जकड़े जाने की घटना की कड़ी आलोचना की गई है।

एमपी के सीधी में पुलिसकर्मियों द्वारा पत्रकारों को निर्वस्त्र करने की घटना को शर्मनाक बताया गया है। गिल्ड के बयान में कहा गया है कि लोकल यूट्यूब समाचार चैनल चलाने वाले कनिष्क तिवारी को क्षेत्रिय भाजपा विधायक और उनके पुत्र के ख़िलाफ़ ख़बर चलाए जाने को लेकर पुलिस ने जिस तरह से प्रताड़ित किया है वह वाक़ई में शर्मसार करने वाला है। इससे पत्रकारिता की गरिमा को काफ़ी धक्का पहुंचा है।

एडिटर्स गिल्ड ने ऐसी बहुत-सी घटनाओं का उल्लेख करते हुए जिसमें पत्रकारों को बुरी तरह से प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित किया गया है, कहा कि पत्रकारों के ख़िलाफ़ राज्य सत्ता अराजकता की सीमा से परे जाकर काम कर रही हैं और संविधान प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटने का काम कर रही हैं। प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया ने इन सभी घटनाओं के मद्देनज़र मानवाधिकार आयोग से अपील की कि इन सभी घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों के ख़िलाफ़ नोटिस जारी करे और उचित फ़ैसला लेते हुए न्याय करे।

कोरोना काल में और अमीर हुए पहले से अमीर

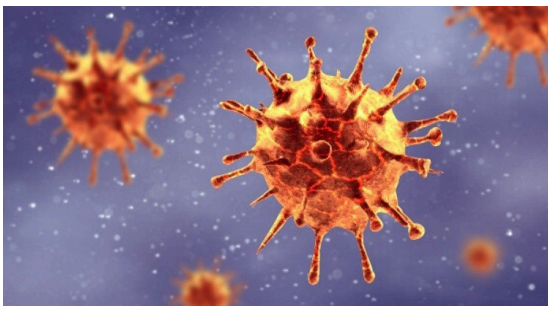

कोरोना ने जहां ग़रीबों और मध्यमवर्गीय लोगों की आर्थिक हालत ख़राब कर दी है, वहीं एक रिपोर्ट में ख़ुलासा किया गया है कि इस दौरान देश के कुछ अमीरतरीन लोगों ने अपनी दौलत में भारी इज़ाफ़ा किया। यह ख़ुलासा 'इंडिया परोपकार सूची 2022' में किया गया है, जिसे ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म बेन एंड कंपनी और सामरिक परोपकार फाउंडेशन डासरा ने प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि अमीरों की संपत्ति में इस इज़ाफ़े और उनके परोपकार में तालमेल नहीं है। अगर वे अपने चीनी समकक्षों के जितने उदार होते तो भारत के बेहद अमीर लोगों ने वित्त वर्ष 2021 में 1 लाख करोड़ रुपये दान में दिया होता, जबकि इसके विपरीत उन्होंने अनुमान के मुताबिक़ क़रीब 12,000 करोड़ रुपये ही दान दिये। ये विश्लेषण मोटे तौर पर हुरुन डोनर डेटाबेस के पास उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। भारत के सबसे धनी लोग बहुत सारे सामाजिक अभियानों के लिए पैसा देते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग़रीबी उन्मूलन आदि, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान, उनकी कुल दौलत के मुक़ाबले उनके परोपकार के अनुपात में कमी देखी गई।



फैटी लिवर होने से बचाएं

सेहत



संपादन प्रभाग

लिवर में अतिरिक्त चर्बी का बनना फैटी लिवर की बीमारी है। फैटी लिवर एक बेहद सामान्य लिवर की बीमारी है। मोटापे, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप के साथ-साथ फैटी लिवर रोग का ख़तरा भारत के शहरों में ख़तरनाक दर से बढ़ रहा है। इसलिए, लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखना सभी के लिए प्राथमिक चिंता का विषय होना चाहिए।

कौन लोग हो सकते हैं ग्रसित ?

यह महिलाओं, पुरुषों और सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है, मगर अधिक वज़न वाले लोगों का इससे ग्रसित होना आम है। चिकनाई से भरपूर आहार और कैलोरी भी फैटी लिवर रोग के कारण हो सकते हैं। भारत के शहरों में मोटापा एक ख़तरनाक दर से बढ़ रहा है। चूंकि मोटापा और मधुमेह फैटी लिवर के लिए प्रमुख ख़तरा हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10-20 वर्षों में भारत में फैटी लिवर रोग की समस्या गंभीर रूप से बढ़ने वाली है।

फैटी लिवर रोग के विभिन्न चरण

फैटी लिवर आमतौर पर निम्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है-

- साधारण फैटी लिवर
- सूजन के साथ फैटी लिवर (नॉन-अल्कोहिलक स्टीटोहेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है)।
- फैटी लिवर जिसमें लिवर की स्कार्रिंग हो या लिवर सख़्त हो जाए (जिसे लिवर सिरोसिस भी कहा जाता है)।

अच्छी बात यह है कि अधिकांश साधारण फैटी लिवर से ग्रसित लोगों को गंभीर लिवर क्षति नहीं होती।

फैटी लिवर के लक्षण

फैटी लिवर वाले अधिकांश व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, हालांकि कुछ को लिवर के बढ़ने के कारण पेट के दाहिनी ओर दर्द का अनुभव हो सकता है। अन्य लक्षण सामान्य थकान, मतली और भूख न लगना है। आंखों का पीलापन (पीलिया), पेट में पानी भरना (एडिमा), ख़ून की उल्टी, मानसिक भ्रम और

"फैटी लिवर एक मूक रोग है। हो सकता है कि यह तब तक कोई लक्षण न दिखाए जब तक कि स्थिति ज़्यादा गंभीर न हो जाए। प्रारंभिक चरण में इस बीमारी का पता लगाना महत्वपूर्ण है ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके या कम किया जा सके।"

पीलिया हो सकता है।

फैटी लिवर रोग का इलाज या बचाव

फैटी लिवर आमतौर पर रूटीन चेकअप के दौरान पाया जाता है, जब डॉक्टर को बढ़े हुए लिवर का पता चलता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन लिवर में

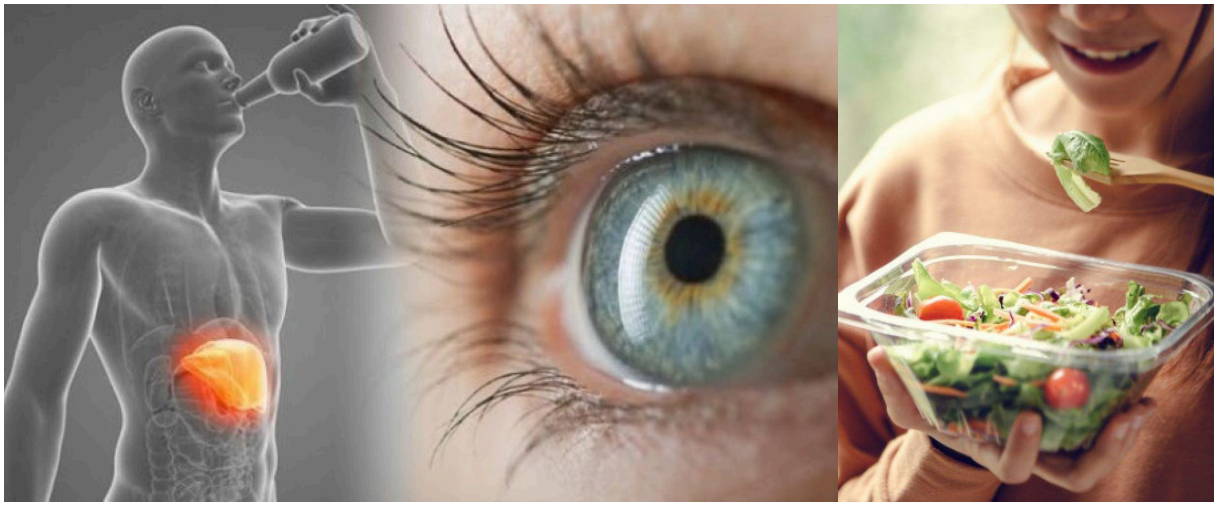

फैट दिखा सकती है, जब लिवर का रक्त परीक्षण सामान्य नहीं हो। फैटी लिवर के लिए ख़तरे के कारकों को पहचानना और अपने चिकित्सक के साथ वार्षिक जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि रोग का जल्द पता चल सके। फैटी लिवर एक मूक रोग है। हो सकता है कि यह तब तक कोई लक्षण न दिखाए जब तक कि स्थिति ज़्यादा गंभीर न हो जाए। प्रारंभिक चरण में इस बीमारी का पता लगाना महत्वपूर्ण है ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके या कम किया जा सके।

वर्तमान में, फैटी लिवर के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। प्रारंभिक फैटी लिवर आमतौर पर आहार परिवर्तन, वज़न घटाने, व्यायाम और मधुमेह जैसे ख़तरे के कारकों के नियंत्रण से आसानी से रोका जा सकता है। लिवर की अधिक क्षति या गंभीर सिरोसिस की स्थिति में केवल लिवर प्रत्यारोपण से रोगी के जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए निम्न उपाय करके इस रोग से बचा जा सकता है।

• अपना वज़न कम करें, यदि आप अधिक वज़न वाले हैं (तेज़ी से वज़न कम करने से बचें)।

• प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।

• आहार में चिकनाई की मात्रा कम करें।

• कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार (चावल, आलू, सफ़ेद ब्रेड) को न लें। सुपाच्य खाद्य पदार्थ लें।

• फल-शर्करा से भरपूर कई जूस और कार्बोनेटेड पेय लेने से बचें।

• वार्षिक स्वास्थ्य जांच करें। हर साल अपने लिवर एंजाइम, ब्लड शूगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करें।

• अगर आपको उच्च रक्तचाप और मधुमेह है, तो इसका प्रभावी उपचार करें। ■■



ऑनलाइन जॉब : करियर को दें नई दिशा

करियर

संपादन प्रभाग

वैसे तो ऑनलाइन कमाई का तरीक़ा काफ़ी पुराना है, लेकिन कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन ने इसे ज़्यादा लोगों के लिए ख़ास बना दिया। यह अतिरिक्त कमाई का भी अच्छा ज़रिया बन चुका है। ऐसी कई वेबसाइट हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। वैसे तो ऑनलाइन कमाई का कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे देते हैं, तो 10 से 15 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। आप वेबसाइट पर जितना ज़्यादा समय देंगे, उतनी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं।

डेटा एंट्री जॉब

घर बैठे किए जाने वाले कार्यों में डेटा एंट्री जॉब लोगों की पहली पसन्द होती है। पार्ट टाइम में ऑनलाइन डेटा एंट्री की जॉब आप कर सकते हैं। इसमें कंपनियां आपको ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड करवाती हैं। इस डेटा को एमएस वर्ल्ड में टाइप करके वापस कंपनियों के पास भेजना होता है। यह काम करने

के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा एमएस वर्ल्ड, कम्प्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है।



फॉर्म भरना

आप घर बैठे-बैठे फॉर्म भरने की भी जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म में डिटेल फिल करनी होगी। यह डिटेल और फॉर्म ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, इंटरनेट सर्फिंग चलाना आना चाहिए।

विज्ञापन पोस्ट करना

इस जॉब में आपको अलग-अलग कंपनियों के एड अलग-अलग क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर पोस्ट करने होते हैं। आप जितने ज़्यादा एड पोस्ट करते हैं, उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं। यह काम कहीं से भी और कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। साइबर कैफे में भी कुछ घंटे जाकर आप यह काम कर सकते हैं।

मैसेज सेंड करने की जॉब

काफ़ी कंपनियां अपने विज्ञापन मैसेज के ज़रिए भी करवाती हैं। अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के मक़सद से मोबाइल यूजर्स को संबंधित प्रोडक्ट के मैसेज करवाए जाते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो प्रोडक्ट के मैसेज यूजर्स को सेंड करें। पार्ट टाइम इनकम के लिए फ्री टाइम में आप यह काम भी कर सकते हैं।

सॉफ्टवेयर डेवलपर

आज के समय में मार्केट में नए-नए फ़ीचर्स के मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि लगातार आ रहे हैं। ऐसे में नए ऐप और सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना आईटी कंपनियां वैकेन्सी अपडेट करती हैं, जो घर से कर सकते हैं।

ग्राफ़िक डिज़ाइनर

इस जॉब की डिमांड ऑनलाइन सबसे ज़्यादा है। आज कई मीडिया हाउस फ़िल्म और एड कंपनियों को ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा मांग रहती है।

इन कंपनियों के लिए आप घर बैठे प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर की जानकारी और क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए।

फ्रीलांस राइटिंग

यदि आपको लिखने और पढ़ने का शौक़ है, तो फ्रीलांस राइटिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। आप किसी ऑनलाइन न्यूज़ पेपर में, किसी विज्ञापन एजेंसी में, किसी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स के लिए ऑनलाइन कंटेन्ट राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएटिव स्किल और नए-नए आइडिया की ज़रूरत है। साथ ही आपकी टाइपिंग और करेक्ट सेंटेंस मेकिंग, लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है।

ऑनलाइन ट्रांसलेटर

अगर आपकी किन्हीं दो भाषाओं पर अच्छी कमांड है और आपने कोई विदेशी भाषा भी सीखी हुई है, तो आपके लिए ऑनलाइन ट्रांसलेटर का ऑप्शन बहुत अच्छा है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए और फॉन्ट की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। इनसे काम आसान हो जाता है। ■■

कहानी



मुंशी प्रेमचंद

पंचायत

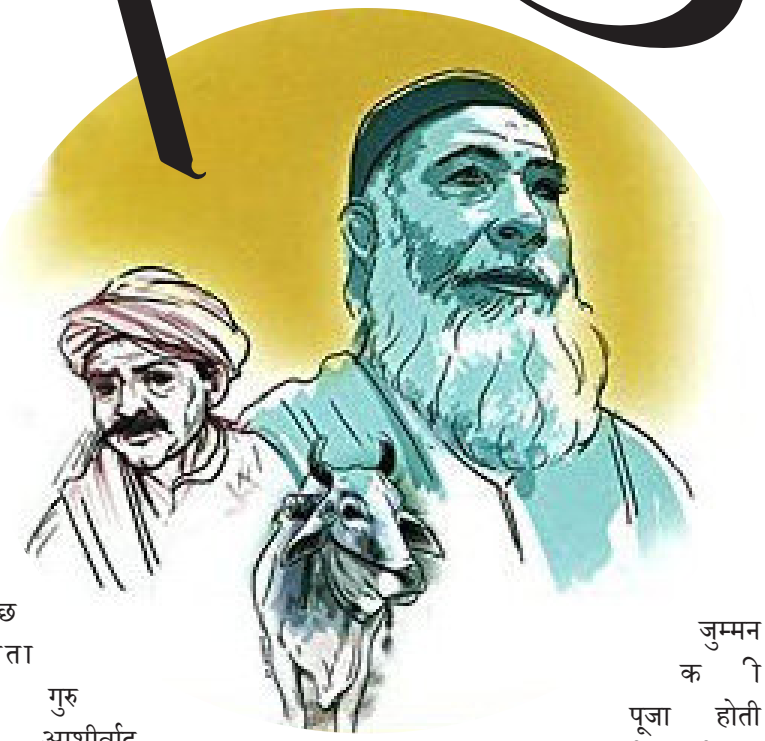

जुम्मन शेख़ और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन-देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते, तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान-पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता; केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूलमंत्र भी यही है।

इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही थे; और जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी, ख़ूब रकाबियां मांजी, ख़ूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था; क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा-शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती; जो कुछ होता है, गुरु के आशीर्वाद से। बस, गुरु जी की कृपा-दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख़ के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ, तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, विद्या उसके भाग्य ही में न थी, तो कैसे आती?

मगर जुमराती शेख़ स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आस-पास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी क़लम न उठा सकता था। हलके का डाकिया, कांस्टेबिल और तहसील का चपरासी-सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख़ अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदरपात्र बने थे।

जुम्मन शेख़ की एक बूढ़ी खाला (मौसी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी-सी मिलकियत थी; परन्तु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने

लम्बे-चौड़े वादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का ख़ूब आदर-सत्कार किया गया। उन्हें ख़ूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाये गए। हलवे-पुलाव की वर्षा-सी की गई; पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन ख़ातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज़, तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख़ भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं।

बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है! बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरतीं! जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते।

कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा; पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी-गृहस्वामी-के प्रबंध में दख़ल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो-धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा-बेटा! तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका-खा लूंगी।

जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया-रुपए क्या यहां फलते हैं?

खाला ने नम्रता से कहा-मुझे कुछ रूखा-सूखा चाहिए भी कि नहीं?

जुम्मन ने गम्भीर स्वर से जवाब दिया-तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो?

खाला बिगड़ गयीं, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ़ जाते देख कर मन ही मन हंसता है। वह बोले-हां, ज़रूर पंचायत करो। फ़ैसला हो जाए। मुझे भी यह रात-दिन की खटखट पसंद नहीं।

पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आस-पास के गांवों में ऐसा कौन था, जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो; ऐसा कौन था, जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था, जो उसका सामना कर सके? आसमान के फ़रिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं।

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस-पास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुक कर कमान हो गई थी। एक-एक पग चलना दूभर था; मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना ज़रूरी था।

बिरला ही कोई भला आदमी होगा, जिसके सामने बुढ़िया ने दुःख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यों ही ऊपरी मन से हूं-हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर ज़माने को गालियां दीं! कहा-क़ब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन; पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती-बारी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य-रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के-से बाल-इतनी सामग्री एकत्र हों, तब हंसी क्यों न आए? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन-वत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को ग़ौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम-घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। लाठी पटक दी और दम ले कर बोली-बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना।

अलगू-मुझे बुला कर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही।

खाला-अपनी विपद तो सबके आगे रो आई। अब आने-न-आने का इख़्तियार उनको है।

अलगू-यूं आने को आ जाऊंगा; मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा।

ख़ाला-क्यों बेटा?

अलगू-अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी ख़ुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है। उससे बिगाड़ नहीं कर सकता।

ख़ाला-बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

हमारे सोए हुए धर्म-ज्ञान की सारी सम्पत्ति लुट जाए, तो उसे ख़बर नहीं होती, परन्तु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे-क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

.....

संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख़ जुम्मन ने पहले से ही फ़र्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के-तम्बाकू आदि का प्रबन्ध भी किया था। हां, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ ज़रा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। फ़र्श की एक-एक अंगुल जमीन भर गई; पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे, जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक

धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर-उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली-गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ़ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ कर झुंड के झुंड जमा हो गए थे।

पंच लोग बैठ गए, तो बूढ़ी ख़ाला ने उनसे विनती की-

'पंचों, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी ज़ायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता-हयात रोटी-कपड़ा देना क़बूल किया। सालभर तो मैंने इसके साथ रो-धोकर काटा। पर अब रात-दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं। कचहरी-दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुःख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो, तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो, तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है! मैं पंचों का हुक्म सिर-माथे पर चढ़ाऊंगी।'

रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले-जुम्मन मियां, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा।

जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े, जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले-पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। ख़ालाजान जिसे चाहें, उसे बदें। मुझे कोई उज्र नहीं।

ख़ाला ने चिल्ला कर कहा-अरे अल्लाह के बन्दे! पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो।

जुम्मन ने क्रोध से कहा-अब इस वक़्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो, पंच बदो।

ख़ालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं, वह बोलीं-बेटा, ख़ुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो! और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो; अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं।

जुम्मन शेख़ आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले-अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू।

अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले-ख़ाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है।

ख़ाला ने गम्भीर स्वर में कहा-बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में ख़ुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है, वह ख़ुदा की तरफ़ से निकलती है।

अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा।

अलगू चौधरी बोले-शेख़ जुम्मन! हम और तुम पुराने दोस्त हैं! जब काम पड़ा, तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं; मगर इस समय तुम और बूढ़ी ख़ाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो, करो।

जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाज़ी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत-चित्त हो कर बोले-पंचों, तीन साल हुए ख़ालाजान ने अपनी ज़ायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ता-हयात खाना-कपड़ा देना क़बूल किया था। ख़ुदा गवाह है, आज तक मैंने ख़ालाजान को कोई तक़लीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी ख़िदमत करना मेरा फ़र्ज़ है; मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है? ख़ालाजान मुझ से माहवार ख़र्च अलग मांगती हैं। ज़ायदाद जितनी है, वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफ़ा नहीं होता है कि माहवार ख़र्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार ख़र्च का कोई ज़िक्र नहीं। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस, मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों का इख़्तियार है, जो फ़ैसला चाहें, करें।

अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अतएव वह पूरा क़ानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक-एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी-कैसी बातें कर रहा था! इतनी ही देर में ऐसी कायापलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की क़सर यह निकाल रहा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी?

जुम्मन शेख़ तो इसी संकल्प-विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फ़ैसला सुनाया-

जुम्मन शेख़! पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति-संगत मालूम होता है कि ख़ालाजान को माहवार ख़र्च दिया जाए। हमारा विचार है कि ख़ाला की ज़ायदाद से इतना मुनाफ़ा अवश्य होता है कि माहवार ख़र्च दिया जा सके। बस, यही हमारा फ़ैसला है, अगर जुम्मन को ख़र्च देना मंज़ूर न

हो, तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए।

यह फ़ैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर-फेर के सिवा और क्या कहें? जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे-सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलियुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी-धोखेबाज़ न होते, तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? यह हैजा-प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं।

.....

मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति-परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे-इसका नाम पंचायत है! दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती, दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फ़ैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ-साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता-रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था।

उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल मिलती है।

जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले।

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है; पर बुरे कामों की सिद्धि में यह

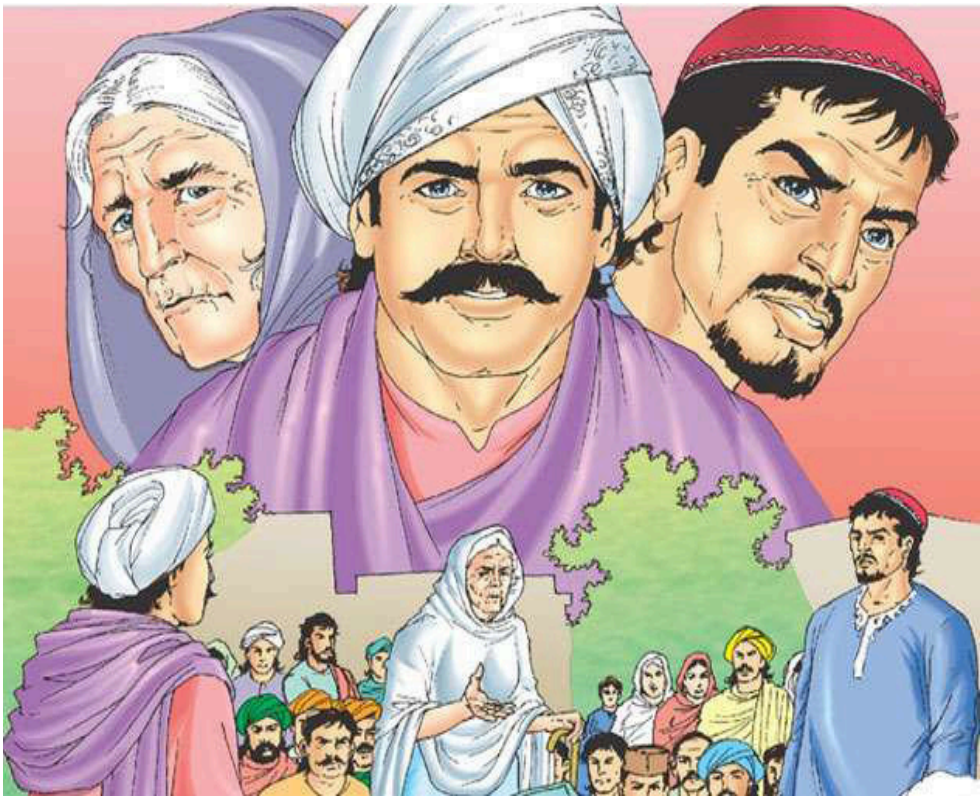

बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाहीं जाति के सुंदर, बड़े-बड़े सींगोंवाले थे। महीनों तक आस-पास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा-यह दग़ाबाज़ी की सज़ा है। इन्सान सब्र भले ही कर जाए, पर ख़ुदा नेक-बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा-जुम्मन ने कुछ कर-करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन ख़ूब ही वाद-विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द-बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट-डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने-बुझाने का काम अपने तर्क-पूर्ण सोंटे से लिया।

.....

अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढ़ा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहु थे, वह इक्का-गाड़ी हांकते थे। गांव के गुड़-घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल, नमक भर लाते, और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन-भर में बेखटके तीन खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौंरी की पहचान कराई, मोल-तोल किया और उसे ला कर द्वार पर बांध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की।

.....

समझू साहु ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेपें करने लगे। न चारे की फ़िक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा

भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी। बैलराम छठे-छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। ख़ूब उछलते-कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैलराम का रातिब था-साफ़ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम-सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहां वह सुख-चैन, कहां यह आठों पहर की खपत! महीने भर ही में वह पिस-सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक-एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थीं; पर था वह पानीदार, मार की बरदाश्त न थी।

एक दिन चौथी खेप में साहु जी ने दूना बोझ लादा। दिन-भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहु जी कोड़े फटकारने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं; पर साहु जी को जल्द पहुंचने की फ़िक्र थी; अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर ज़ोर लगाया; पर अबकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहु जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी; पर कहीं मृतक भी उठ सकता है? तब साहु जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को ग़ौर से देखा, खोलकर अलग किया; और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे-चिल्लाए; पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र न आया। आस-पास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाये और कोसने लगे-अभागे। तुझे मरना ही था, तो घर पहुंच कर मरता! ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा! अब गाड़ी कौन खींचे? इस तरह साहु जी ख़ूब जले-भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे, दो-ढाई सौ रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे; अतएव छोड़ कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया। फिर हुक्का पिया। इस तरह साहु जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे; पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली ग़ायब! घबरा कर इधर-उधर देखा, तो कई कनस्तर तेल भी नदारत! अफ़सोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते-बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी-निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई।

इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहु और सहुआइन, दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड-बंड बकने लगते-वाह! यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं! आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है! हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जा कर किसी गड़हे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो। और क्या लोगे?

चौधरी के अशुभचिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहु जी के बर्रीने की पुष्टि करते। परन्तु डेढ़ सौ रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहु जी बिगड़ कर लाठी ढूंढ़ने घर में चले गए। अब

पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरु किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा-अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी; किस-किसको पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा-समझू साहु ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले-मेरी ओर से जुम्मन शेख़। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो।

सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते-होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुस कर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहु जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो। जो कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहु जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली।

.....

पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा-अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी; किस-किसको पंच बदते हो।

अलगू ने दीन भाव से कहा-समझू साहु ही चुन लें।

समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले-मेरी ओर से जुम्मन शेख़।

जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गए। पूछा-क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं।

चौधरी ने निराश होकर कहा-नहीं, मुझे क्या उज्र होगा?

अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है।

पत्र-संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है; परंतु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्याय परायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता-पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं! वे उसे कुल-कलंक समझते हैं; परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित-चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।

जुम्मन शेख़ के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी ज़िम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक़्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश है-और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं!

पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल-जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फ़ैसला सुनाया-

अलगू चौधरी और समझू साहु! पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक़्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने-चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया।

रामधन मिश्र बोले-समझू ने बैल को जान-बूझ कर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए।

जुम्मन बोले-यह दूसरा सवाल है! हमको इससे कोई मतलब नहीं!

झगड़ू साहु ने कहा-समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए।

जुम्मन बोले-यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें, तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाए। उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले-पंच-परमेश्वर की जय!

इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई-पंच-परमेश्वर की जय!

प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था-इसे कहते हैं न्याय! यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले-भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण-घातक शत्रु बन गया था; पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से ख़ुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। ■■

आख़िरी पन्ना



नईम अलहिन्दी

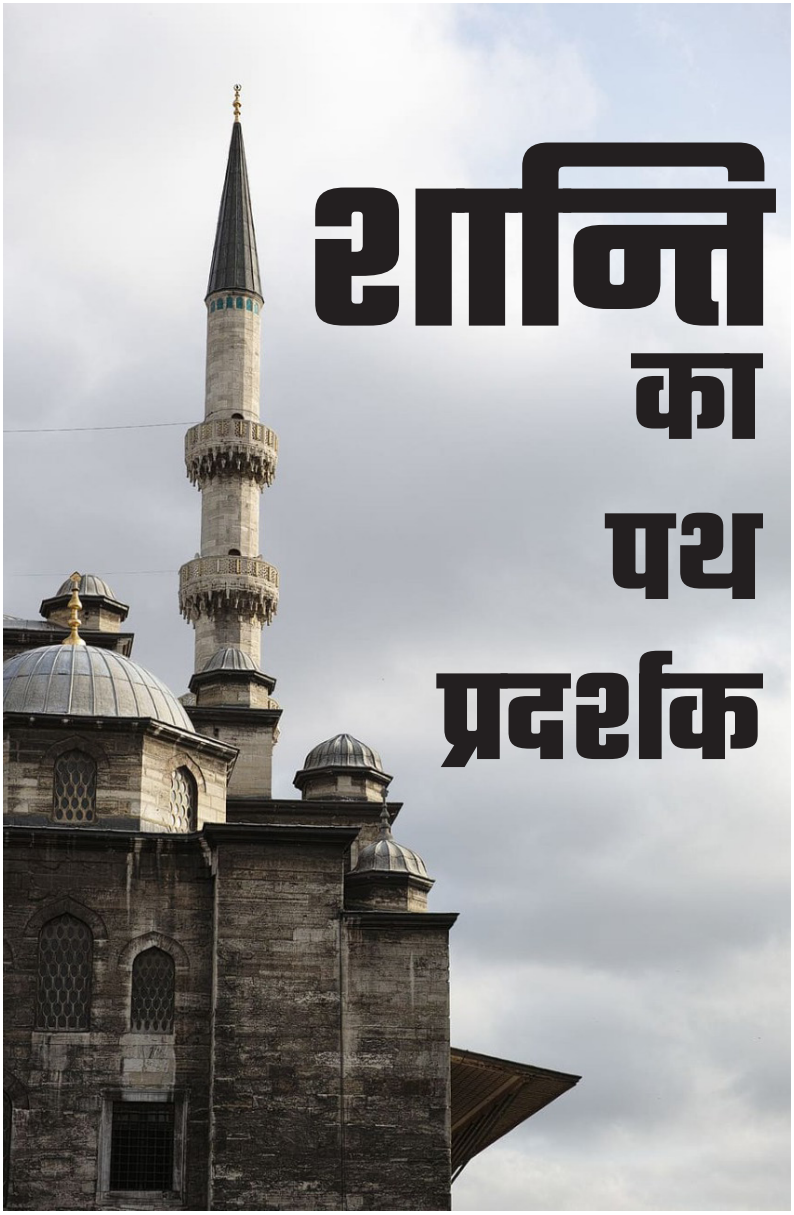

शान्ति का पथ प्रदर्शक

''बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम''

अर्थात्, 'शुरू करता हूं अल्लाह (ईश्वर) के नाम से जो निहायत रहम (दया) करने वाला मेहरबान (कृपालू) है। ईशग्रंथ क़ुरआन के आरंभ में इस आयत के द्वारा दया और कृपा को अल्लाह का गुण बताया गया है। क़ुरआन में कहा गया है कि इन्सान धरती पर अल्लाह की सर्वोत्तम रचना है, इसलिए उससे भी कहा गया है कि सदा दया और कृपा का भाव अपनाओ। क़ुरआन का आरंभ भी इसी भाव से होता है।

क़ुरआन में अहिंसा का वर्णन अनेक स्थानों पर हुआ है। अकारण ख़ून बहाने, वध करने और झगड़ा-फ़साद से रोका गया है-''फिर तनिक याद करो, हमने तुम से पक्का वचन लिया था कि आपस में एक-दूसरे का ख़ून न बहाना और न एक-दूसरे को घर से बेघर करना।'' (क़ुरआन, 2:84)

सूरा अल-बक़रा के इसी अध्याय में आगे बताया गया है कि ईश्वर (अल्लाह) लड़ाई-झगड़ा और फ़साद को नापसंद करता है-''जब उसे सत्ता मिल जाती है, तो धरती में उसकी सारी दौड़-धूप इसलिए होती है कि बिगाड़ फैलाए, खेतों को नष्ट करे और इन्सानी नस्ल को तबाह करे-हालांकि अल्लाह (जिसे वह गवाह बना रहा था) बिगाड़ को हरगिज़ पसंद नहीं करता।'' (क़ुरआन, 2:205)

एक अन्य स्थान पर क़ुरआन कहता है-''ऐ लोगो, आपस में एक-दूसरे का माल ग़लत ढंग से मत खाओ, लेन-देन होना चाहिए आपसी रज़ामंदी से, एक दूसरे की हत्या न करो।''

(क़ुरआन, 4:29)

अकारण किसी भी प्राणी की जान लेने को क़ुरआन ने अक्षम्य अपराध घोषित किया है। क़ुरआन कहता है-''किसी जान को न मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। सिवाय इसके कि हक़ और इन्साफ़ को यही अपेक्षित हो।''

(क़ुरआन, 17:33)

एक अन्य स्थान पर हत्या के अपराध की गंभीरता का उल्लेख करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-''इसी कारण इसराईल की सन्तान के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि, ''जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान दिया।'' मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल निरन्तर उनके पास खुले-खुले निर्देश लेकर आए

फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज़्यादतियां करने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 5:32)

इस प्रकार क़ुरआन ने एक इन्सान की हत्या को सारी इन्सानियत की हत्या माना है और एक जान को बचाने वाले को कहा गया कि मानो उसने सारी इन्सानियत की हत्या होने से बचा लिया। क़ुरआन आगे कहता है कि, ''निन्दनीय तो वे हैं जो दूसरों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक़ ज़्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलबत्ता जो व्यक्ति सब्र से काम ले और माफ़ करे, तो यह बड़े साहसपूर्ण कामों में से है। (क़ुरआन, 42:42-43)

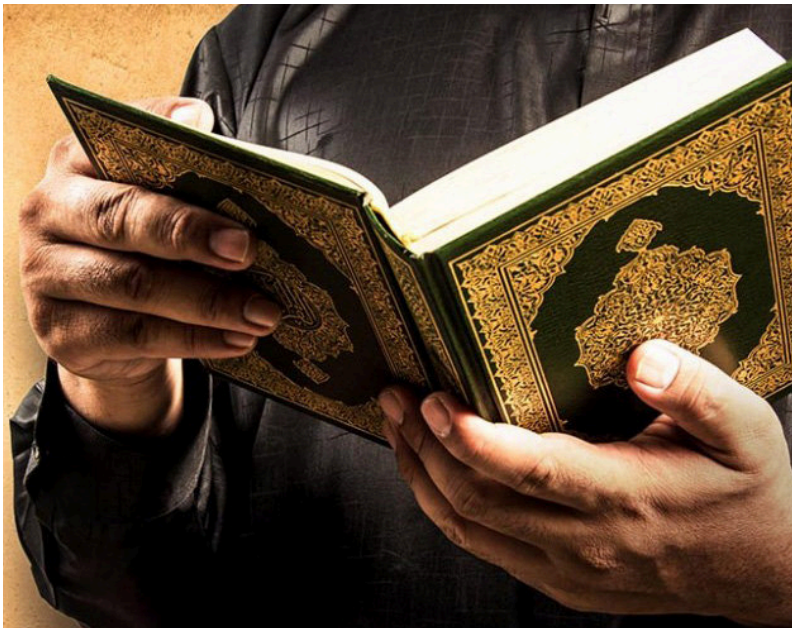

'ज़मीन वालों पर दया का भाव रखो। आसमान वाला (ईश्वर) तुम पर दया का भाव रखेगा। उस व्यक्ति में कोई गुण, अच्छाई नहीं जो किसी के साथ मुहब्बत न करे।

इसी प्रकार क़ुरआन यह भी कहता है कि, ''भलाई और बुराई समान नहीं है। तुम बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसका वैर पड़ा हुआ था वह जिगरी दोस्त बन गया है।'' (क़ुरआन, 41:34)

इसके अलावा क्षमाशीलता की भावना पर प्रकाश डालते हुए क़ुरआन कहता है कि, ''उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और दरगुज़र करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? और अल्लाह का यह गुण है कि वह क्षमाशील और दयावान है।''

(क़ुरआन, 24:22)

शान्ति और समझौते के संबंध में क़ुरआन कहता है कि, ''और ऐ नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर झुके तो तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यक़ीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है।'' (क़ुरआन, 8:61)

क़ुरआन में सद्भाव, दया, अमन, शांति और मानवता का संदेश देता है। इसी भावना को व्यक्त करती क़ुरआन में बहुत-सी आयतें हैं। इस्लाम धर्म के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) इस दुनिया में दया और प्रेम का संदेश लेकर आये। अपने व्यक्तित्व और आचरण से उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे भली-भांति दर्शाया। जो उनके साथ बुराई से पेश आता आप उसके साथ भलाई करते। कष्ट पहुंचाने वाले के लिए ईश्वर से दुआ करते कि हे ईश्वर इसे सीधा रास्ता दिखला। हदीस की किताबों में आता है कि मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया-

'ज़मीन वालों पर दया का भाव रखो। आसमान वाला (ईश्वर) तुम पर दया का भाव रखेगा। उस व्यक्ति में कोई गुण, अच्छाई नहीं जो किसी के साथ मुहब्बत न करे। गीली टहनी को पेड़ से न तोड़ो, पशु-पक्षियों के साथ भी दया और सहानुभूति से पेश आओ, किसी का दिल न दुखाओ। किसी को कष्ट न पहुंचाओ। मुहम्मद (सल्ल.) ने दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ सद्व्यवहार की महत्वता को बताते हुए कहा, 'यदि कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को कष्ट पहुंचाएगा, तो क़यामत (न्याय के दिन) के दिन उस मुसलमान के विरुद्ध ग़ैर-मुस्लिम का साथ दूंगा। उसकी तरफ़ खड़ा हूंगा।'

इस्लाम अमन और शांति को मानवता की भलाई के लिए ज़रूरी मानता है। क़ुरआन कहता है कि दुनिया के सभी इन्सान एक मां-बाप की सन्तान हैं। इस्लाम किसी को भी किसी की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देता। क़ानून तोड़ने वाले के लिए कड़े दंड का प्रावधान है।

■■

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گھٹیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل®

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

KANTI Monthly, New Delhi
MAY 2022
Posted on 20-21 April 2022
Published on 18 April 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

